[ 2018 ] 5 एस. सी. आर 785

चिंतलपति श्रीनिवास राजू

वी.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

( 2017 आदि की सिविल अपील No.16805)

14 मई, 2018

[ आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

एस. ई. बी. आई. (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992:

विनियमन 2 (ई) (आई), 2 (सी)-अंदरूनी व्यापार-सत्यम घोटाला-अपीलार्थी सह-एससीएसएल के अध्यक्ष का भाई-सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज

लिमिटेड, 1993 से 2000 तक एस. सी. एस. एल. के कार्यकारी निदेशक और 2000 से 2003 तक गैर-कार्यकारी निदेशक थे-एस. सी. एस. एल. के इक्विटी शेयर रखने वाले अपीलकर्ता-एस. सी. एस. एल. के पूर्व अध्यक्ष द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और एस. ई. बी. आई. को पत्र कि कंपनी के वित्तीय विवरण को बहुत अधिक बताया गया था-कंपनी को कारण बताएँ

अपीलार्थी कि एस. सी. एस. एल. के प्रवर्तक और निदेशक होने के नाते, वह एक "अंदरूनी सूत्र" के रूप में उत्तरदायी था, जिसे अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यू. पी. एस. आई.) की जानकारी थी, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने शेयरों को बढ़े हुए मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त करने के लिए खड़ा था-एस. ई. बी. आई. और अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य ने कहा कि अपीलार्थी एक "जुड़े हुए व्यक्ति" थे।

यू/रेग 2 (सी) और, इस प्रकार, "अंदरूनी" यू/रेग 2 (ई)-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अपीलार्थी को वार्षिक रूप से प्रवर्तक के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है

रिपोर्ट, जिसमें एक निदेशक के रूप में उनके हस्ताक्षर थे, उन्हें एक प्रवर्तक के रूप में नहीं दिखाया-अध्यक्ष और उनके भाई ने उन्हें अपनी पीठ के पीछे विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों को लिखे पत्रों में एक प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया और उन्हें धोखा दिया-वे उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार थे।

2006 तक सभी वास्तविक प्रवर्तकों ने अपनी हिस्सेदारी का निपटान कर दिया।

एस. सी. एस. एल. में, क्योंकि वे एस. सी. एस. एल. द्वारा सामना किए जा रहे ऋण संकट से अवगत थे-अपीलकर्ता ने 2008 के अंत तक एस. सी. एस. एल. में पर्याप्त हिस्सेदारी बनाए रखना जारी रखा, जो स्पष्ट रूप से एस. सी. एस. एल. में स्वामित्व की कमी की ओर इशारा करता है।

यू. पी. एस. आई.-अपीलार्थी का कोई पेशेवर या व्यावसायिक संबंध नहीं था

उसका सह-भाई और उसके सह-भाई द्वारा बनाई गई किसी भी संस्था के साथ उसका कोई संबंध नहीं था-अपीलार्थी ने 2000 में कार्यकारी निदेशक बनना बंद कर दिया क्योंकि वह धोखाधड़ी वाले हेरफेर में शामिल नहीं था जो केवल 2001 से शुरू हुआ था-यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलार्थी किसी भी तरह से एससीएसएल के प्रबंधन में उन लोगों द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए कैसे जिम्मेदार था-उचित रूप से होने का अनुमान

गोपनीय जानकारी के ज्ञान में होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है गठित किया जाए-एस. ई. बी. आई. (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992।

विनियमन 2 (ई) (ii), 2 (एच) (ix)-अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील

सूचना (यूपीएसआई)-सत्यम घोटाला-- अपीलकर्ता कंपनी-निजी

एस. सी. एस. एल. के कार्यकारी निदेशक/गैर-निदेशक और उनकी कंपनी पत्नी-प्रत्येक के पास कंपनी की 50 प्रतिशत शेयर पूंजी है-अपीलार्थी

एससीएसएल में रखे गए केवल 8,00,000 शेयर बेचे गए-24,00,000 शेयर कभी नहीं बेचे गए अपीलार्थी द्वारा बेचा गया, लेकिन जिसके लिए केवल आवेदन राशि थी

17.4.2002 द्वारा प्राप्त और वापस किया गया-असहमति आदेश शामिल है

उक्त शेयरों के कारण किए गए लाभ अल्पसंख्यक निर्णय यह मानते हुए कि 8,00,000 शेयर घटना से पहले बेचे गए थे

यू. पी. एस. आई. और 24,00,000 के शेयर कभी नहीं बेचे गए थे, लेकिन केवल

एस. सी. एस. एल. के कार्यकारी निदेशक/गैर-निदेशक के पास लौट आए, गठन नहीं कर सके

किसी भी विघटन आदेश का आधार-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अल्पसंख्यक

निर्णय को बरकरार रखा जाता है-अपीलार्थी के पास ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उपखंड (vi), (vii) और (viii) में उल्लिखित व्यक्तियों के रिश्तेदार हैं -

इन उपखंडों के तहत, एक व्यक्ति को एक संबंधित व्यक्ति माना जाता है।

व्यक्ति यदि ऐसा व्यक्ति क्ल (i) से (v) में व्यक्तियों का रिश्तेदार है; या कंपनी का बैंकर है; या किसी जुड़े हुए व्यक्ति का रिश्तेदार है -

चूँकि इनमें से कोई भी खंड आकर्षित नहीं है, एस। 2 ( ज) (ix) आकर्षित नहीं।

रेग 2 (एच) (viii)-जुड़ा हुआ व्यक्ति-सत्यम

घोटाले के कार्यकारी निदेशक/गैर-कार्यकारी निदेशक के पिता

कंपनी के पिता न तो एस. सी. एस. एल. के प्रवर्तक हैं और न ही निदेशक, और

2005 में 2,50,000 शेयर बेचे गए और 2007 में समाप्त हो गए-द्वारा आदेश

न्यायाधिकरण कि पिता एक ऐसा व्यक्ति था जिसे संबंधित माना जाता था रेग 2 (एच) (viii) क्योंकि वह एक जुड़े हुए व्यक्ति का रिश्तेदार था-ऑन

अपील की गई: निदेशक/कार्यकारी निदेशक का जुड़ाव समाप्त हो गया

2003 में व्यक्ति-इस प्रकार, जब पिता ने 2005 में शेयर बेचे, तो वे निदेशक के रूप में जुड़े हुए व्यक्ति नहीं माने जा सकते थे।

स्वयं एक जुड़े हुए व्यक्ति होना बंद कर दिया इस प्रकार, पूरे का क्रम समय सदस्य ने रद्द कर दिया और अलग कर दिया।

रेगुलेशन 2 (ई) (आई)-अंदरूनी सूत्र-जुड़ा हुआ व्यक्ति-सत्यम घोटाला

-

अध्यक्ष की माँ, हालांकि रिश्तेदार हैं, फिर भी 2003 में बाजार लेनदेन बंद कर दिया-पूर्णकालिक सदस्य और बहुमत

अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले में कहा गया है कि माँ करीबी रिश्तेदार है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उसकी यूपीएसआई तक पहुंच थी

अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसा नहीं किया

- चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

माँ के खिलाफ कार्रवाई की गई और न ही एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया।

वह न तो एस. सी. एस. एल. की प्रवर्तक थीं और न ही निदेशक-इस प्रकार,

खंड 2 (ई) (आई) का दूसरा भाग पूरा नहीं हुआ-इसके अलावा, अगर उनके पास यू. पी. एस. आई. होता, तो उन्होंने 2003 में कम कीमत पर शेयरों को बेचने के बजाय उन्हें उनके चरम मूल्य पर बेच दिया होता।

- इस प्रकार, बहुमत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

विनियमन 2 (ई) (आई)-अंदरूनी-सत्यम घोटाला-अध्यक्ष के बेटों को पूर्णकालिक सदस्य और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा शामिल किया गया-अपील पर, आयोजित: खंड 2 (ई) (आई) का दूसरा अंग इन दोनों में से किसी के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है।

धोखाधड़ी में किसी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था

अपने पिता द्वारा किए गए बेटे-इस तथ्य को देखते हुए कि वे स्पष्ट रूप से थे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त धोखाधड़ी से दोषमुक्त किया गया, और यह कि वे स्वतंत्र व्यवसाय चला रहे थे और न ही थे

एस. सी. एस. एल. के निदेशक और न ही प्रवर्तक, और यह कि उन्होंने अपने शेयरों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उस चरम मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचा, जिस पर उनके पिता ने 2006 में एस. सी. एस. एल. के शेयर बेचे थे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया।

रेग 2 (एच) (ix)-अंदरूनी सूत्र-जुड़ा हुआ माना जाने वाला व्यक्ति

व्यक्ति-सत्यम घोटाला-अपीलार्थी-प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाले सत्यम कंपनी के शेयर, जिन्हें ऋण राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था, जिन्हें अध्यक्ष के परिवार के स्वामित्व वाली दस स्वतंत्र कंपनियों को धन प्रदान करने के लिए उधार लिया गया था, अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले में अपीलार्थी कंपनी को यू/रेग 2 (एच) (ix) के तहत एक संबंधित व्यक्ति माना गया-अपील पर कहा गया: अपीलार्थी कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप, बनाया गया

यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष और उनके भाई व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते थे, इस प्रकार, अपीलार्थी कंपनी

यू/रेग 2 (एच) (ix) के तहत एक जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है-इसके अलावा, अपीलकर्ता कंपनी अपने नियमों के तहत एक 'अंदरूनी सूत्र' थी।

यू. पी. एस. आई. के कब्जे में होने पर अध्यक्ष और उनके भाई और उनके जीवनसाथी के सत्यम के शेयरों को गिरवी रखा और बेच दिया और इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों का उल्लंघन किया-इस प्रकार, बहुमत के फैसले के निष्कर्ष को बरकरार रखा गया।

विनियमन 2 (ई) (i) और (ii)-इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग-अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई)-सत्यम सत्यम घोटाला-अपीलकर्ता-युवा

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के भाई ने अपील पर कहा: एस से। 246 यह स्पष्ट है कि एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट का उपयोग किसी भी अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में किया जा सकता है।

यह [2018] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथाकथित सत्यम घोटाले में अपीलार्थी की भूमिका की सराहना करना संभव है-साथ ही, विशेष अदालत के फैसले, जो कारण बताए जाने के नोटिस के लंबे समय बाद दिए गए थे, ने साबित कर दिया कि अपीलार्थी ने एससीएसएल, उसके शेयरधारकों और निवेशकों की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी-हालांकि यह निर्णय सही है कि कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग कार्यवाही हैं, विशेष न्यायालय के फैसले की प्रासंगिकता केवल इस उद्देश्य के लिए है।

यह दर्शाने का कि "अंदरूनी" की परिभाषा का दूसरा भाग अपीलार्थी के मामले में बनाया गया है-उससे एससीएसएल की प्रतिभूतियों के संबंध में यूपीएसआई तक पहुंच की उचित रूप से अपेक्षा की गई थी इस प्रकार, एसएफआईओ की रिपोर्ट के साथ-साथ विशेष अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की संलिप्तता की ओर इशारा करता है, इसके विपरीत परिवार के अन्य सदस्यों ने की गई धोखाधड़ी में-अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को बरकरार रखा-कंपनी अधिनियम, 1956-एस। 246 .

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

2017 की सिविल अपील संख्या 16805

किसी भी व्यक्ति का संदर्भ जो कंपनी से जुड़ा हुआ है या कंपनी से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि "जुड़े हुए व्यक्ति" की परिभाषा विनियमन में निहित है। 2 ( ग) अपीलार्थी को उसके उपखंड (i) के तहत शामिल करेगा, क्योंकि अपीलार्थी निस्संदेह 2003 तक एस. सी. एस. एल. का निदेशक था।

हालांकि, खंड 2 (ई) (आई) के दूसरे अंग को भी संतुष्ट करना होगा, जो यह है कि ऐसे व्यक्ति से उचित रूप से अपेक्षित किया जाना चाहिए

के आधार पर अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच

कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसा संबंध। यह माना गया है कि "और" शब्द को इसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए और इसे एक संयुग्म अर्थ में समझा जाना चाहिए, जब तक कि यह एक बेतुकी स्थिति या एक अस्पष्ट परिणाम की ओर न ले जाए। [ पैरा 10] [806-एफ-एच; 807-ए]

महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1963) 50 आई. टी. आर. 731; एम. सत्यनारायण बनाम। की स्थिति

कर्नाटक, (1986) 2 एस. सी. सी. 512; भारत संघ बनाम। न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया [1994] 1 एस. सी. आर. 83: ( 1994 ) 2 एस. सी. सी. 240; स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीसीई [2015] 11 एससीआर 487: ( 2016 ) 1 एस. सी. सी. 780-संदर्भित।

चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

1.2 तत्काल मामले में, एस. ई. बी. आई. (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 इस पर काफी प्रकाश डालता है -

"अंदरूनी सूत्र" की परिभाषा, एक अंदरूनी सूत्र के रूप में अब केवल एक ऐसे व्यक्ति के लिए परिभाषित की गई है जो एक जुड़ा हुआ व्यक्ति है या एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर है।

अप्रकाशित मूल्य के प्रति संवेदनशील होना या उस तक पहुंच होना जानकारी दी। जाहिर है, 2015 के बाद, एक "अंदरूनी सूत्र" को 1992 के विनियमों के दूसरे परीक्षण को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त है कि

ऐसा व्यक्ति एक "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है। 2015 के विनियमों में निहित विसंगत "या" 1992 के विनियमों में निहित अभिव्यक्ति "और" के विपरीत होना चाहिए।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) (आई) के केवल पहले भाग को प्रभावी बनाने में अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के दृष्टिकोण को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा,

विनियमन 2 (ई) (आई) के दूसरे भाग के तहत, संबंधित व्यक्ति

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुँच के लिए "यथोचित रूप से अपेक्षित" होना चाहिए। अभिव्यक्ति "उचित रूप से

अपेक्षित "केवल एक इप्स डिक्सिट नहीं हो सकता है-सामग्री होनी चाहिए यह दिखाने के लिए कि ऐसे व्यक्ति से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है। [ पैरा 10,11] [807-बी-ई]

विनियम 2 (ई) (आई)। निर्णय विनियमन 3 में भाषा के अंतर की सही ढंग से सराहना करता है, इससे पहले और बाद में 2002 में संशोधित किया गया, और "के आधार पर" अभिव्यक्ति के साथ "जब कब्जे में हो" अभिव्यक्ति की तुलना करता है। अल्पसंख्यक

निर्णय तब एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट को संदर्भित करता है और उस पर भरोसा करता है, जिसमें पाया गया कि वित्तीय विवरणों में हेरफेर अध्यक्ष और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था, और इसे निदेशक मंडल से दबा दिया गया था, जिसमें अपीलार्थी को ऐसे बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। उक्त निर्णय में कहा गया कि अपीलार्थी को प्रवर्तक के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वार्षिक

रिपोर्ट, जिसमें एक निदेशक के रूप में उनके हस्ताक्षर थे, उन्हें एक प्रवर्तक के रूप में नहीं दिखाया गया था। उनकी पीठ के पीछे जो किया गया वह यह था कि अध्यक्ष और उनके भाई ने उन्हें केवल एक प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया

अपीलार्थी की जानकारी या सहमति के बिना उन विनिमयों को लिखे गए पत्रों में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज। अल्पमत निर्णय इस तथ्य को भी संदर्भित करता है कि अपीलार्थी के शेयर एस. ई. एस. के [2018] 5 एस. सी. आर. में विलय के समय लॉक-इन अवधि के अधीन नहीं थे।

एस. सी. एस. एल., जो लॉक-इन अवधि थी, प्रवर्तकों के लिए कानून द्वारा अनिवार्य थी। वास्तव में, अपीलार्थी उनके द्वारा ठगे गए व्यक्तियों में से एक था और इसलिए, एससीएसएल के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार था। [ पारस 12,13] [807-एफ-जी; 808-सी-डी]

1.4 यह भी पाया गया कि वर्ष 2006 तक सभी वास्तविक प्रवर्तकों ने एस. सी. एस. एल. में अपनी हिस्सेदारी का निपटान कर दिया क्योंकि वे

एस. सी. एस. एल. द्वारा सामना किए जा रहे ऋण संकट से अवगत थे। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने 2008 के अंत तक एस. सी. एस. एल. में पर्याप्त हिस्सेदारी बनाए रखना जारी रखा, स्पष्ट रूप से यू. पी. एस. आई. के कब्जे की कमी की ओर इशारा करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी द्वारा 22.12.2008 पर शेयरों की बिक्री का अंतिम लेनदेन, जो शेयरों का एक बड़ा हिस्सा था, अपीलार्थी द्वारा एससीएसएल के किसी भी अन्य शेयरधारक की तरह ही किया गया था। बाजार में खबर आई थी कि एस. सी. एस. एल. का एम. आई. लिमिटेड और एम. प्रॉपर्टीज के साथ विलय प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ रहा है। शेयर बाजार में उन्माद के कारण एससीएसएल के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। तथ्य यह है कि

अपीलार्थी ने उस तारीख को कीमत का लाभ उठाने के लिए 22.12.2008 पर अपनी शेयरधारिता के एक बड़े हिस्से का निपटान पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया यह निष्कर्ष कि अध्यक्ष, उनके भाई और अपीलार्थी के बीच कोई सूचना प्रवाह था। यह भी बताया गया कि अपीलार्थी का अपने सह-भाई के साथ कोई पेशेवर या व्यावसायिक संबंध नहीं था और उसका अपने सह-भाई द्वारा बनाई गई किसी भी संस्था के साथ कोई संबंध नहीं था। यह तथ्य कि अपीलार्थी धोखाधड़ी वाले हेरफेर में शामिल नहीं था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 में उनका कार्यकारी निदेशक बनना बंद हो गया था। धोखाधड़ी का हेरफेर 2001 से ही शुरू हुआ। यह भी था

अल्पमत निर्णय द्वारा महत्वपूर्ण माना गया कि अपीलार्थी एस. एल. कंपनी के निदेशक मंडल में एस. सी. एस. एल. का नामांकित व्यक्ति नहीं था, बल्कि किसी अन्य तीसरे पक्ष के निवेशक का था। [ पैरा 14] [809-सी जी]

1.5 अतः गैर-कार्यकारी निदेशक ऐसे व्यक्ति हैं जो

कंपनी के संचालन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं हैं और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार नहीं हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि ध्यान दें कि अपीलार्थी ने उस अवधि के लिए एससीएसएल की दस में से केवल छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया जब वह एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे। अपीलार्थी किसी भी व्यावसायिक विकास में शामिल नहीं था,

एस. सी. एस. एल. पद के नए उद्यमों पर विविधीकरण योजनाएं और सलाह 1999. अल्पमत निर्णय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि निष्कर्ष चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम।

सुरक्षाएँ और

भारत का विनिमय बोर्ड

पूर्णकालिक सदस्य और बहुमत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ गए कारण दर्शाओ नोटिस, जिसे जब उसके अनुलग्नक 15 के साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी को केवल एक प्रवर्तक के रूप में शामिल करने की मांग की जाती है। एक बार जब यह पाया जाता है कि वह प्रवर्तक नहीं है, तो कारण दिखाएँ नोटिस का आधार विवादित फैसले का आधार भी होता है। [ पारस 16,18] [811-सी; 813-डी-ई]

1.6 भले ही 1997 के विनियमों में "नियंत्रण" की परिभाषा एक समावेशी है, फिर भी परिभाषा से पता चलता है कि

नियंत्रण का अर्थ अधिकांश निदेशकों को शेयरधारक के रूप में नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए।

व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अपीलार्थी एक निश्चित मासिक वेतन पर एक कार्यकारी निदेशक था, जो लगभग था

जब उन्होंने 2000 में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया, तो प्रति माह रु. 1,00,000/- की सीमा में। पद छोड़ने के बाद, वेतन रोक दिया गया था, और उन्हें केवल बोर्ड की बैठकों के लिए भुगतान किया गया था जिसमें वे शामिल हुए थे। इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि तथ्यों पर, ऐसे कार्यकारी वेतनभोगी निदेशक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एस. सी. एस. एल. के नियंत्रण में थे। वार्षिक रिपोर्ट में "स्वतंत्र" शब्द की अनुपस्थिति भी हमें बहुत दूर नहीं ले जाती है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि वे 2000 से 2003 तक एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, जिन्होंने केवल छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया और वेतन प्राप्त किया।

इसके लिए। यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलार्थी किसी भी मामले में कैसे था एस. सी. एस. एल. के प्रबंधन में उन लोगों द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार। यह प्रदर्शित किया जाता है कि अल्पमत निर्णय के बहुमत निर्णय की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत और सही है

अपीलार्थी न्यायाधिकरण। यह निवेदन कि वर्तमान जैसे मामलों में, चीजों के बारे में जानने की एक उचित अपेक्षा केवल मूलभूत तथ्यों से प्राप्त उचित निष्कर्षों पर आधारित हो सकती है, स्वीकार किया जाता है। [ पैरा 20] [816-सी-जी] 1.7 केवल इस तथ्य से कि अपीलार्थी ने दो संयुक्त उद्यम कंपनियों को बढ़ावा दिया, जिनमें से एक का अंततः विलय हो गया।

एस. सी. एस. एल. और यह तथ्य कि वह अध्यक्ष के सह-भाई थे, बिना अधिक के, मूलभूत तथ्य नहीं कहा जा सकता है जिनसे गोपनीय जानकारी के ज्ञान में उचित रूप से होने की उम्मीद की जा सकती है। तथ्य यह है कि

अपीलार्थी को निदेशक के रूप में तब तक जारी रखा जाना था जब तक कि प्रतिस्थापन फिर से कहीं नहीं ले जाता। दो अन्य स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशकों को उनके स्थान पर 23.1.2003 से नियुक्त किया गया था।

यह

[2018] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट करें कि अपीलार्थी ने एससीएसएल के कार्यकारी निदेशक के रूप में इस्तीफा देने के बाद अपनी सारी ऊर्जा उन व्यवसायों के लिए समर्पित कर दी जो वह चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एससीएसएल द्वारा उसे दिया जा रहा वेतन बंद कर दिया गया था। [ पैरा 21] [817-सी-डी]

1.8 अल्पमत निर्णय और चर्चा में निहित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अल्पमत का दृष्टिकोण दोनों में सही है

कानून और तथ्यों पर और स्वीकार किया जाता है। इसलिए, बहुमत का निर्णय

अपीलीय न्यायाधिकरण को अलग कर दिया जाता है। [ पैरा 22] [817-ई-एफ]

पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 1; गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई. (2008) 17 एस. सी. सी. 471; एस. ए. सी. आई. संबद्ध उत्पाद लिमिटेड बनाम सीसीई

[ 2005 ] 3 एससीआर 881: ( 2005 ) 7 एस. सी. सी. 159; एस. ई. बी. आई. बनाम किशोर आर. अजमेरा [2016] 1 एससीआर 1118: ( 2016 ) 6 एससीसी 368 -

संदर्भित किया गया।

डोवी और मेट्रोपॉलिटन बैंक बनाम। जॉन कोरी

[ 1901 ] एसी 477 का उल्लेख किया गया है।

2017 की सिविल अपील सं. 19494

आगे यह भी कहा गया कि 24,00,000 शेयर, जो कभी नहीं बेचे गए थे, लेकिन केवल 'CS' को वापस कर दिए गए थे, किसी भी विघटन आदेश का आधार नहीं बन सकते थे। उसी के साथ सहमति है। [ पैरा 25] [818-सी-ई] 2.2 अपीलार्थी कंपनी में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उपखंड (vi), (vii) और (viii) में उल्लिखित व्यक्तियों के रिश्तेदार हैं-इन उपखंडों के तहत, एक व्यक्ति को एक जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है यदि ऐसा व्यक्ति खंड (i) से (v) में व्यक्तियों का रिश्तेदार है;

या कंपनी का बैंकर है; या संबंधित चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम का रिश्तेदार है।

व्यक्ति। चूँकि इनमें से कोई भी खंड आकर्षित नहीं है, यह स्पष्ट है। कि धारा 2 (एच) (ix) भी, कानून के मामले के रूप में, इस मामले के तथ्यों में आकर्षित नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से, का बहुमत निर्णय

अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [ पैरा 27] [819-ए-बी]

डायरी नं. 37202 2017 का

3. अपीलार्थी, 'सी. एस. आर.' के पिता, न तो प्रवर्तक थे और न ही एस. सी. एस. एल. के निदेशक थे और उनकी मृत्यु आई. डी. 1 पर हुई थी। वह एक जुड़े हुए थे

व्यक्ति से 'सीएसआर' तक, उसके पिता होने के नाते, लेकिन उन शेयरों के रूप में जो खड़े थे

उनके नाम पर अगस्त, 2005 में बेचा गया था, वह संभवतः किसी जुड़े हुए व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं हो सकता था क्योंकि 'सी. एस. आर.' स्वयं जुलाई, 2003 से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं रह गए थे। अपीलीय न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय ने उक्त स्थिति की सही सराहना की। [ पैरा 28] [819-सी-डी]

2017 की सिविल अपील संख्या 17303

4. यह प्रस्तुत किया गया था कि अपने बेटे और उसके साथियों द्वारा की गई धोखाधड़ी में मां की किसी भी तरह की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था; और यह कि उसके मुवक्किल के खिलाफ जो कुछ भी पाया गया है वह यह है कि वह अध्यक्ष की करीबी रिश्तेदार है और इस करीबी रिश्ते के आधार पर, यह माना जाना चाहिए कि उसकी यूपीएसआई तक पहुंच थी। वास्तव में, यह पूर्णकालिक सदस्य के निर्णय के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय दोनों का आधार था। इस तथ्य को देखते हुए कि इस महिला के खिलाफ सी. बी. आई. या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी और एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट में किसी भी तरह से उसका उल्लेख नहीं है, और इस तथ्य को देखते हुए कि वह न तो एस. सी. एस. एल. की प्रवर्तक थीं और न ही निदेशक, यह स्पष्ट है कि खंड 2 (ई) (आई) के दूसरे भाग का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा, अगर उनके पास यू. पी. एस. आई. होता, तो उन्होंने इसके बजाय अपने शीर्ष मूल्य पर शेयर भी बेचे होते।

उन्हें वर्ष 2003 में कम कीमत पर बेचना। इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [ पैरा 30] [820-सी-एफ]

2017 की सिविल अपील संख्या 17313 और 2017 की 17,978

5. इस तथ्य को देखते हुए कि खंड 2 (ई) (आई) का दूसरा अंग नहीं कर सकता है

इनमें से किसी भी अपीलार्थी के खिलाफ रखा जाए-अध्यक्ष के पुत्र, जिसमें धोखाधड़ी में किसी भी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है

उनके पिता द्वारा प्रतिबद्ध; इस तथ्य को देखते हुए कि वे स्पष्ट रूप से [2018] 5 एस. सी. आर. थे।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त धोखाधड़ी से बरी किया गया; और इस तथ्य को देखते हुए कि वे स्वतंत्र व्यवसाय चला रहे थे और न तो निदेशक थे और न ही एससीएसएल के प्रवर्तक थे, और उन्होंने अपने शेयरों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उस चरम मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचा, जिस पर उनके पिता ने 2006 में एससीएसएल के शेयर बेचे थे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को इस ओर से दरकिनार कर दिया गया है। [ पैरा 31] [821-सी-डी]

2017 की सिविल अपील संख्या 17997

6. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बहुमत के निर्णय में

अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का उपयोग 10 निजी लिमिटेड को धन प्रदान करने के लिए किया गया था

कंपनियाँ, जो अध्यक्ष के परिवार के स्वामित्व में थीं। समान रूप से, अपीलकर्ता कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप ने, जैसा कि यह 18.9.2006 पर और उससे खड़ा था, यह स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष और उनके पत्नी के पास क्रमशः 33.11% और 40.52% था, जबकि शेष राशि उनके भाई और उनकी पत्नी के पास थी। जाहिर है, इसलिए, के रूप में

अध्यक्ष और उनके भाई की व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी, अपीलकर्ता कंपनी है

1992 के विनियमों के विनियम 2 (एच) (ix) के तहत एक संबंधित व्यक्ति माना जाता है। एस. बी. आई. के डब्ल्यू. टी. एम. का निर्णय कि

अपीलकर्ता कंपनी पी. आई. टी. विनियमों के तहत एक 'अंदरूनी सूत्र' थी।

और यह कि अपीलकर्ता कंपनी ने यू. पी. एस. आई. के कब्जे में होने पर अध्यक्ष और उनके भाई और उनके जीवनसाथी के सत्यम के शेयरों को गिरवी रखा और उन्हें बेच दिया और इस प्रकार एस. आर. एस. आर. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम का उल्लंघन किया और पी. आई. टी. विनियमों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय के इस निष्कर्ष से सहमति है। [ पैरा 33] [821-जी-एच; 822-ए-बी, ई; 823-सी]

2017 की सिविल अपील संख्या 17383

हालाँकि यह कहना सही है कि यह रिपोर्ट 13.4.2009 पर दी गई थी, यानी कारण बताएँ नोटिस जारी होने से पहले। 19.6.2009 , केवल यह तथ्य कि यह अपीलार्थी के खिलाफ कारण दर्शाओ नोटिस में नहीं रखा गया था, इस न्यायालय के स्वतंत्र रूप से ऐसा न देखने का कोई कारण नहीं हो सकता है। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में इस रिपोर्ट में निहित निष्कर्षों पर

हमला करने का विकल्प नहीं चुना है। धारा 246 के तहत, यह न्यायालय चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम है।

रिपोर्ट करें। इसलिए, धारा 246 के आधार पर तथाकथित सत्यम घोटाले में अपीलार्थी की भूमिका की सराहना करना संभव है। इसके अलावा, विशेष अदालत का फैसला, जो दिया गया था केवल 9.4.2015 पर अर्थात कारण दर्शाओ नोटिस के लंबे समय बाद, यह साबित हुआ कि अभियुक्त ने मेसर्स की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। एस. सी. एस. एल., इसके शेयरधारक और निवेशक। [ पारस 38,39] [824-डी-एफ; 826-जी; 827-जी]

7.2 जबकि यह सच है कि न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ और

अपीलार्थी के मामले में, यदि अपीलार्थी, अपने भाइयों के साथ, जनता में की गई धोखाधड़ी में पक्षकार था, तो यह स्पष्ट है कि उससे एससीएसएल की प्रतिभूतियों के संबंध में यूपीएसआई तक पहुंच की यथोचित अपेक्षा की गई थी। इस अपीलार्थी का मामला, इसलिए, अध्यक्ष के परिवार के अन्य सदस्यों से अलग है जिसमें एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट के साथ-साथ उक्त निर्णय स्पष्ट रूप से और परिवार के अन्य सदस्यों के विपरीत, 2001 के बाद से की गई धोखाधड़ी में उनकी संलिप्तता की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं। यह मामला होने के कारण, हालांकि विभिन्न कारणों से, अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को बरकरार रखा जाता है। [ पैरा 40] [828-सी-ई]

राधेश्याम केजरीवाल बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य [2011] 4 एस. सी. आर. 889: ( 2011 ) 3 एस. सी. सी. 581; वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2016] 2 एससीआर 741: ( 2016 ) 12 एस. सी. सी. 325; के. जी. प्रेमशंकर बनाम पुलिस निरीक्षक [2002] 2 सप्लीमेंट। एससीआर 350: ( 2002 ) 8 एससीसी 87-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

( 1963 ) 50 आईटीआर 731

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

( 1986 ) 2 एस. सी. सी. 512

पै

रा 10

संदर्भित किया गया है

[ 1994 ] 1 एससीआर 83

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[ 2015 ] 11 एससीआर 487

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

( 2014 ) 16 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

( 2008 ) 17 एस. सी. सी. 471

संदर्भित किया गया है

पैरा

19 [2018] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 2005 ] 3 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[ 2016 ] 1 एससीआर 1118

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[ 2011 ] 4 एससीआर 889

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[ 2016 ] 2 एससीआर 741

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[ 2002 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 350 संदर्भित

पै

रा 40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 16805

2017 से।

प्रतिभूतियों के 11.08.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की अपील संख्या 451 में मुंबई में अपीलीय न्यायाधिकरण

के साथ

सिविल अपील सं। 19494 , 17997 , 17313 , 17303 , 17383 , 17978 में से

2017 और 2018 की सिविल अपील संख्या 5180।

के. वी. विश्वनाथन, सिद्धार्थ लूथरा, सी. ए. सुंदरम, मोहन

परासरन, वी. गिरि, एन. के. कौल, मुकुल रोहतगी, बी. सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विवेक रेड्डी, सुश्री अमृता पांडा, रविचंद्र हेगड़े, सुश्री वृंदा भंडारी, सुश्री कीर्ति संदूर, नील चटर्जी, देबेश पांडा, श्रीधर रेड्डी, करण शर्मा, आर. एल. शंकर, आर. नारायण कुमार, संजय वर्मा, सुश्री प्रशीला प्रभु, सुश्री माहिका, संग रतन नेगी, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, सुश्री अदिति दानी, आर. एल. शंकर, बी. तेजा राजू, डी. एल. चिदानंद, रविचंद्र हेगड़े, के. विवेक रेड्डी, सुश्री कृति संसूर, ऋतुंजय गुप्ता।

दिव्यम अग्रवाल, ई. आर. कुमार, डी. पी. मोहंती, तनुज अग्रवाल, सुश्री रवीना राय, सार्थक गौर, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शी, समर कछवाहा, आकाश लांबा, मेसर्स। पारेख एंड कंपनी, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, कृष्ण कुमार सिंह, सुश्री एलिजाबेथ एंटनी,

एम/एस। वकील एस. निट एंड कंपनी, भारत मोंगा, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन,

अनुज सरमा, सुश्री निहारिका, सुश्री कनिका कलैयारसन, मेसर्स. के. जे. जॉन एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. वर्तमान अपीलों की उत्पत्ति "सत्यम घोटाले" के रूप में जानी जाती है। बी. रामलिंगा राजू, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष (इसके बाद "एससीएसएल" के रूप में संदर्भित) ने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों और एस. ई. बी. आई. को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि एस. सी. एस. एल. के वित्तीय विवरणों को बहुत अधिक बताया गया था और यह एस. सी. एस. एल. की वित्तीय स्थिति के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता था।

2017 की सिविल अपील No.16805

2. वर्तमान अपील में, अपीलार्थी को एस. ई. बी. आई. के पूर्णकालिक सदस्य के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा शामिल किया गया था क्योंकि वह

1993 से 31.8.2000 तक एससीएसएल के कार्यकारी निदेशक और 1.9.2000 से 23.1.2003 तक गैर-कार्यकारी निदेशक रहे। वह बी. रामलिंगा राजू का "सह-भाई" भी है क्योंकि दोनों ने दो बहनों से शादी की है।

3. एस. सी. एस. एल. को मूल रूप से दो शेयरधारकों, बी. रामलिंगा राजू और डी. वी. के साथ एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

24.6.1987 पर सत्यनारायण राजू। ये दोनों सज्जन इस कंपनी के मूल प्रवर्तक थे। अपीलार्थी, जो 1993 से इस कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे, एससीएसएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात् सत्यम एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्राइवेट के संचालन तक सीमित थे।

सीमित (एस. ई. एस)। अपीलार्थी ने कहा कि वह कभी भी एस. सी. एस. एल. के दैनिक मामलों में शामिल नहीं था। उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी में, 80 प्रतिशत शेयरधारिता एस. सी. एस. एल. के पास थी और शेष 20 प्रतिशत शेयर अपीलार्थी के पास थे। 1999 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की एक योजना के अनुसार एस. ई. एस. का एस. सी. एस. एल. में विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को एस. सी. एस. एल. के इक्विटी शेयर जारी किए गए। उसी वर्ष बाद में, एस. सी. एस. एल. ने बोनस की घोषणा की, जिससे राशि दोगुनी हो गई।

एस. सी. एस. एल. के 16,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए अपीलार्थी द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या। 7.8.2000 पर, एससीएसएल ने एक स्टॉक विभाजन की घोषणा की जिसके द्वारा शेयरों का अंकित मूल्य रुपये से कम कर दिया गया। 10 / - 2/- रुपये तक जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक शेयरधारक को प्रत्येक के लिए 2/- रुपये के अतिरिक्त पांच शेयर मिले। उनके द्वारा रखे गए Rs.10/- का हिस्सा। नतीजतन, अपीलार्थी की हिस्सेदारी एससीएसएल के 76,50,000 इक्विटी शेयरों तक बढ़ गई। जहाँ तक एस. सी. एस. एल. का संबंध है, पहली बार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (इसके बाद "यू. पी. एस. आई". के रूप में संदर्भित) अस्तित्व में आई, जिसे

31.3.2001 पर बताया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि इस तारीख तक, जैसा कि [2018] 5 एस. सी. आर. रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर कहा गया है कि अपीलार्थी उक्त कंपनी का गैर-कार्यकारी निदेशक था। 2000 से 2003 तक की विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों में बी.

एस. सी. एस. एल. के प्रवर्तकों के रूप में रामलिंगा राजू और बी. रामा राजू, लेकिन अपीलार्थी के रूप में नहीं। अपीलार्थी ने एस. सी. एस. एल. में अपने शेयर 22.2.2001 से बेच दिए

इसे बाकी निदेशक मंडल से छिपा कर धोखा दिया था, पूरे समय के सदस्य ने कहा कि SEBI की जांच स्वतंत्र है और अन्य जांच एजेंसियों से अलग, और यह कि चूंकि अपीलकर्ता निदेशक मंडल का हिस्सा था और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एस. सी. एस. एल. द्वारा दायर किए गए खुलासों में एक प्रवर्तक के रूप में घोषित किया गया था, और बी. रामलिंगा राजू का सह-भाई होने के नाते, वह, इसलिए, एस. सी. एस. एल. और उसके अध्यक्ष के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था और "सभी संभावनाओं में सत्यम कंप्यूटर के मामलों के बारे में पता चल सकता था जिसमें उसके प्रवर्तक होने का दावा किया गया गलत खुलासा भी शामिल था।" यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बी. रामलिंगा राजू और उनके साथियों द्वारा की गई धोखाधड़ी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तब यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को इस तक पहुँचने से रोक दिया गया था

7 साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार। इसके अलावा, अपीलार्थी ने कहा था कि

उसके नाम के सामने उल्लिखित राशि को अलग करें, जो रुपये की राशि है। 136.64 जब तक उन्होंने अपने शेयर बेचे, यानी दिसंबर, 2008 तक की पूरी अवधि के लिए रु।

4. अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अपील को बहुमत के फैसले से काफी हद तक खारिज कर दिया गया था। बहुमत के फैसले में कहा गया कि यह तय करना आवश्यक नहीं होगा कि क्या अपीलार्थी एस. सी. एस. एल. का प्रवर्तक था। इसने आगे 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) का अर्थ यह बताते हुए लगाया कि यह पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी जनवरी, 2003 तक निदेशक था, जो कि यू. पी. एस. आई. की घटना की तारीख के बाद है, जो 31.3.2001 पर और उससे हुई थी। चूंकि कोई वास्तविक अंतर नहीं है

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपीलार्थी ने एक "अंदरूनी" होने के नाते यूपीएसआई के कब्जे में होने पर एससीएसएल के शेयर बेचे थे और 1992 के विनियमों का उल्लंघन करते हुए लाभ कमाया था। अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कारण दर्शाएँ नोटिस को अनुलग्नक 15 दिया गया था, अपीलार्थी एक प्रवर्तक होने के नाते 1992 के उल्लंघन का एकमात्र आधार नहीं था। विनियम, लेकिन एस. सी. एस. एल. के निदेशक और रामलिंगा राजू के सह-भाई होने के नाते भी अपीलार्थी को इसमें शामिल किया जाएगा। हालाँकि, अपीलार्थी को इस हद तक राहत दी गई कि 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) के स्पष्टीकरण के तहत, अपीलार्थी को निदेशक के रूप में अपने इस्तीफे के बाद केवल छह महीने की अवधि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यानी जुलाई, 2003 तक। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा जुलाई, 2003 तक किए गए गैरकानूनी लाभों की मात्रा का आकलन करने के लिए रिमांड आदेश दिया गया था।

5. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील

वर्तमान अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि कारण दर्शाओ नोटिस का आधार यह है कि अपीलार्थी ने एक प्रवर्तक के रूप में 1992 के विनियमों के विपरीत अवैध लाभ कमाया है। एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि वह प्रवर्तक नहीं है, [2018] 5 एस. सी. आर.

पूर्णकालिक सदस्य के निष्कर्षों और अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे कारण बताए जाने की सूचना से परे हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पूर्णकालिक सदस्य के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय द्वारा की गई एक मौलिक त्रुटि 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) (आई) के निर्माण में है, जिसमें एक अंदरूनी सूत्र को "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है और एक व्यक्ति जिससे अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील तक पहुंच की यथोचित उम्मीद की जाती है।

इस तरह के संबंध के आधार पर जानकारी। "और" शब्द के बाद परिभाषा के दूसरे भाग को दोनों अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है और वे हैं, इसलिए, 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) (आई) के निर्माण में गलत। अन्यथा भी, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी एक अंदरूनी व्यक्ति था, विनियमन 3 (i), किसी भी मामले में, वर्तमान मामले के तथ्यों में आकर्षित नहीं होगा क्योंकि अपीलार्थी के पास न तो कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी और न ही उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, पूरे समय के सदस्य के आदेश को पूर्व से नुकसान हुआ

निर्णयात्मक पक्षपात, क्योंकि बी. रामलिंगा राजू और उनके सहयोगियों से संबंधित एक पूर्व आदेश द्वारा, अपीलार्थी के खिलाफ अपीलार्थी को पहले के निर्णय में पक्षकार के बिना और उसे सुने बिना पाया गया था। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, विवादित फैसलों ने विशेष अदालत, सी. बी. आई. के आरोप पत्र और एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्षों की अनदेखी करने में गलती की। उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया जो तथ्यों पर बहुत विस्तार से गया और अंततः उनके मुवक्किल को दोषमुक्त कर दिया। 6. श्री सी. यू. सिंह, जो एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील थे, ने इन आरोपों में से प्रत्येक का प्रतिवाद किया और हमें इस बारे में जानकारी दी।

जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी को शेयर बाजार के साथ तिमाही आधार पर शेयरधारिता प्रारूप को एक ऐसे प्रपत्र में दाखिल करना है जिसमें शामिल है: प्रवर्तकों की हिस्सेदारी। " प्रवर्तक "को एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) के विनियम 2 (1) (एच) (आई) में परिभाषित किया गया है।

विनियम, 1997 (इसके बाद "1997 विनियम" के रूप में संदर्भित), चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम।

सूचीकरण समझौते में कौन सी परिभाषा शामिल की गई है। यह परिभाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रवर्तक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के नियंत्रण में है, चाहे वह शेयरधारक, निदेशक या निदेशक के रूप में हो।

अन्यथा। श्री सिंह के अनुसार, अपीलकर्ता, 1993 से एक कार्यकारी निदेशक होने के कारण, स्पष्ट रूप से एक प्रवर्तक था।

हैं। यह मामला होने के कारण, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, कंपनी द्वारा दायर वार्षिक विवरणी में, कानूनी रूप से, यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी कि कंपनी के प्रवर्तक कौन थे और इस कारण से, एससीएसएल ने एक प्रवर्तक के रूप में अपीलकर्ता का खुलासा नहीं किया। श्री सिंह के अनुसार, इस पहलू को अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले में जोड़ा गया है, भले ही श्री सिंह के अनुसार बहुमत का फैसला अंततः इस आधार पर निर्णय नहीं करता है कि अपीलकर्ता एक प्रवर्तक है। उन्होंने भी भरोसा किया कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जो अपीलार्थी को 2000 से 2003 तक निदेशक के रूप में दिखाती है, लेकिन उसके स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं। उन्होंने स्वयं अपीलार्थी के कथनों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि जब तक कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं मिल जाता, तब तक अपीलार्थी एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बना रहेगा, जिसका अर्थ है कि वह वही करता रहेगा जो उसने एक कार्यकारी निदेशक के रूप में किया था। यह मामला होने के कारण, अपीलार्थी न्यायाधिकरण का बहुमत निर्णय यह कहने में सही था कि जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक होने के बीच कोई अंतर नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, जब "अंदरूनी" की परिभाषा की बात आती है, तो विनियमन 2 (ई) (आई) की तुलना 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) (आई) से की जानी चाहिए, जबकि उप-खंड (आई) में एक संबंधित व्यक्ति को केवल यथोचित रूप से संबंधित होने की आवश्यकता होती है।

उपखंड (ii) के तहत अंदरूनी जानकारी होने की उम्मीद है, जो व्यक्ति

जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें अंदरूनी जानकारी का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण का बहुमत निर्णय अंततः यह अभिनिर्धारित करने में पांच महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में सही था कि अपीलार्थी एक अंदरूनी व्यक्ति था।

अर्थात्, (i) कि वह एक प्रवर्तक था; (ii) कि उसने दो संयुक्त उद्यम कंपनियों को बढ़ावा दिया जो एससीएसएल के साथ निकटता से जुड़ी थीं; (iii) इनमें से एक [2018] 5 एस. सी. आर.

कंपनियों का अंततः एस. सी. एस. एल. में विलय हो गया; (iv) कि वह तब तक निदेशक के रूप में बने रहेंगे जब तक कि उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाता; और (v) कि वे बी. रामलिंगा राजू के सह-भाई थे। श्री सिंह के अनुसार ये कारक मूलभूत तथ्य थे जिनसे यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि अपीलार्थी से यू. पी. एस. आई. का ज्ञान होने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यह दिखाने के लिए इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया कि दंड की कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक-दूसरे से अलग और स्वतंत्र हैं, और इसलिए, विशेष न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया जाता है, उसका एस. ई. बी. आई. की दंड कार्यवाही पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, पहले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

एस. ई. बी. आई अधिनियम, 1992

" हेरफेर और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार और प्रतिभूतियों या नियंत्रण के पर्याप्त अधिग्रहण का निषेध।

12 ए. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं करेगा

( क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रतिभूति के निर्गम, खरीद या बिक्री के संबंध में, किसी भी हेरफेर या भ्रामक उपकरण का उपयोग या नियोजित करना या इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में साजिश या

इसके तहत बनाए गए नियम या विनियम;
( बी) जारी करने या प्रतिभूतियों में लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या कलाकृति को नियोजित करें जो सूचीबद्ध या प्रस्तावित हैं

( ग) इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, किसी भी ऐसे कार्य, व्यवहार, व्यवसाय में संलग्न हो जो किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या छल के रूप में काम करता हो, इस मुद्दे के संबंध में, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में लेनदेन करता हो। इसके तहत;

( घ) अंदरूनी व्यापार में संलग्न होना;

( ई) सामग्री या गैर-सार्वजनिक होने पर प्रतिभूतियों में सौदा करना।

ऐसी सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी या संचार किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके से जानकारी देना जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है; हितलपति श्रीनिवास राजू V.

( च) किसी भी कंपनी या प्रतिभूतियों का नियंत्रण उस कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना जिसकी प्रतिभूतियां हैं।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। अंदरूनी व्यापार के लिए जुर्माना।

15 जी. अगर कोई अंदरूनी सूत्र जो,

( i) या तो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निकाय की प्रतिभूतियों में सौदा करता है; या ( (ii) किसी भी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी को किसी भी व्यक्ति को, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम या किसी भी कानून के तहत आवश्यक जानकारी के लिए उसके अनुरोध के साथ या उसके बिना संचारित करता है;

या

( iii) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी निकाय की प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए परामर्श या खरीद, जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पच्चीस करोड़ रुपये या आंतरिक व्यापार से अर्जित लाभ की राशि का तीन गुना, जो भी अधिक हो, तक बढ़ सकता है।

अंदरूनी व्यापार विनियमों का निषेध, 1992 परिभाषाएँ।

( (ii) कंपनी के एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में पद धारण करता है या एक पेशेवर या व्यवसाय से जुड़े पद धारण करता है। अपने और कंपनी के बीच संबंध, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी और जिसके बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है

उस कंपनी:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्याख्या: -खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, "जुड़े हुए व्यक्ति" शब्दों का अर्थ कोई भी व्यक्ति होगा जो एक जुड़े हुए व्यक्ति है

अंदरूनी व्यापार के कार्य से महीनों पहले; XXX XXX XXX

( ई) "अंदरूनी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो,

( i) कंपनी से जुड़ा हुआ है या था या माना जाता है कि वह कंपनी से जुड़ा हुआ है और उचित रूप से अपेक्षित है

( (ख) ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त की है या प्राप्त की है; XXX XXX XXX

( ज) "व्यक्ति को एक जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है", यदि ऐसा व्यक्ति ( i) उसी प्रबंधन या समूह के तहत एक कंपनी है, या उप-धारा के अर्थ के भीतर उसकी कोई सहायक कंपनी है।

( 1 बी) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 370 की या धारा 372 की उप-धारा (11) या एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (1956 का 54) की धारा 2 का उप-खंड (जी)।

1969 ) जैसा भी मामला हो; या

निर्गम, डिबेंचर ट्रस्टी, दलाल, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार, उप-दलाल, निवेश कंपनी या उसका कोई कर्मचारी, या म्यूचुअल फंड के न्यासी मंडल का सदस्य है या

( (iv) निदेशक मंडल का सदस्य या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए में परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का कर्मचारी है; या ( v) एक नियामक निकाय के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत एक स्व-नियामक संगठन का एक अधिकारी या कर्मचारी है; या हिंतलपति श्रीनिवास राजू v.

( vi) उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी का रिश्तेदार है;

इस विनियमन के खंड (ग) के उपखंड (i) में उल्लिखित या इस खंड के उपखंड (vi), (vii) या (viii) में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी या ब्याज 10 प्रतिशत से अधिक है। ( हा) "मूल्य संवेदनशील जानकारी" का अर्थ है कोई भी जानकारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी से संबंधित है और जो प्रकाशित होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्य को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

स्पष्टीकरण। निम्नलिखित जानकारी को मूल्य संवेदनशील माना जाएगा:

( (i) कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणाम;

( (ii) लाभांश की इच्छित घोषणा (अंतरिम और अंतिम दोनों); ( (ग) प्रतिभूतियों का निर्गम या प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद;

( (iv) कोई बड़ी विस्तार योजना या नई परियोजनाओं का निष्पादन।

( vii) और नीतियों, योजनाओं या संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कंपनी;

XXX XXX XXX

अंदरूनी व्यापार से संबंधित मामलों पर लेन-देन, संवाद या परामर्श पर प्रतिबंध। 3. कोई अंदरूनी सूत्र नहीं

( i) या तो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, सौदा करें। किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में;
[2018] 5 एस. सी. आर.

विनियमन 3 (i) को 20.2.2002 से संशोधित किया गया था

निम्नलिखित है:

" लेन-देन, संवाद या परामर्श पर प्रतिबंध

अंदरूनी व्यापार से संबंधित मामले।

3. कोई भी अंदरूनी सूत्र-(i) अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में सौदा नहीं करेगा जब उसके पास कोई अप्रकाशित मूल्य होगा।

संवेदनशील जानकारी; "

8. इसी तरह, वाक्यांश "इस तरह के संबंध के आधार पर" में शामिल था

विनियमन 2 (ई) में भी 2002 में इसी संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 1992 के विनियमों को एस. ई. बी. आई. (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (2015 विनियम) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2015 से "अंदरूनी" की परिभाषा में बदलाव किया गया है। 2015 के विनियमों का विनियम 2 (1) (छ) इस प्रकार है:

" परिभाषाएँ।

2. ( 1 ) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित शब्द, अभिव्यक्तियाँ और व्युत्पत्तियाँ

( छ) "अंदरूनी" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो: i) एक जुड़ा हुआ व्यक्ति; या ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील तक पहुँच रखने वाला या रखने वाला व्यक्ति। जानकारी; "

9. उक्त विनियमों के विनियम 12 द्वारा, 1992 के विनियमों को सामान्य खंड अधिनियम की अंतर्निहित धारा 6 के साथ निरस्त कर दिया गया था। विनियमन 12 के खंड 2 में निहित।

10. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनियमन 2 (ई) (आई) दो भागों में है। पहले भाग में किसी भी व्यक्ति का संदर्भ है जो उससे जुड़ा हुआ है

कंपनी या कंपनी से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विनियमन 2 (सी) में निहित "संबद्ध व्यक्ति" की परिभाषा अपीलार्थी को उसके उपखंड (आई) के तहत शामिल करेगी, क्योंकि अपीलार्थी निस्संदेह 2003 तक एस. सी. एस. एल. का निदेशक था। हालांकि, खंड 2 (ई) (आई) के दूसरे अंग को भी संतुष्ट करना होगा, जो यह है कि ऐसे व्यक्ति से कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे

संबंध के आधार पर अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की उचित रूप से अपेक्षा की जानी चाहिए। निर्णयों की एक श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "और" शब्द को इसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए और यह चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम होना चाहिए।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक संयोजी अर्थ में समझा जाता है, जब तक कि यह एक बेतुकी स्थिति या एक अस्पष्ट परिणाम की ओर न ले जाए। महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, (1963) पैराग्राफ 10 पर 50 आई. टी. आर. 731; एम. सत्यनारायण बनाम। कर्नाटक राज्य, (1986) 2 एस. सी. सी. 512 पैराग्राफ 5 पर; भारत संघ बनाम। न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया, (1994) पैराग्राफ 18 पर 2 एस. सी. सी. 240 और स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई., (2016) 1 एस. सी. सी. 780 पैरा 30 पर। वर्तमान मामले में, 2015 के नए विनियम "अंदरूनी" की परिभाषा पर भी काफी प्रकाश डालते हैं, क्योंकि एक अंदरूनी व्यक्ति को अब केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक जुड़ा हुआ व्यक्ति है या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है या जिसकी पहुंच है। जाहिर है, 2015 के बाद, एक "अंदरूनी सूत्र" को 1992 के विनियमों के दूसरे परीक्षण को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त है कि ऐसा व्यक्ति

परिभाषित के रूप में एक "जुड़े हुए व्यक्ति" बनें। 2015 के विनियमों में निहित विसंगत "या" 1992 के विनियमों में निहित अभिव्यक्ति "और" के विपरीत होना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1992 के विनियमों के विनियम 2 (ई) (आई) के केवल पहले भाग को प्रभावी बनाने में अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के दृष्टिकोण को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

11. इसके अलावा, विनियमन 2 (ई) (आई) के दूसरे भाग के तहत, जुड़े हुए व्यक्ति से इस तक पहुंच की "उचित रूप से अपेक्षा" की जानी चाहिए।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी। "यथोचित रूप से प्रत्याशित" अभिव्यक्ति केवल एक इप्स डिक्सिट नहीं हो सकती है-यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से यथोचित रूप से इस तक पहुंच की उम्मीद की जा सकती है।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी।

12. यह हमें अपीलीय न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय पर लाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह निर्णय सही ढंग से भूमिका को सामने लाता है

विनियमन 2 (ई) (आई) में निहित अभिव्यक्ति "और"। निर्णय 2002 में संशोधित किए जाने से पहले और बाद में विनियमन 3 में भाषा में अंतर की भी सही ढंग से सराहना करता है, और "जब कब्जे में हो" अभिव्यक्ति के साथ "के आधार पर" अभिव्यक्ति की तुलना करता है। अल्पमत निर्णय तब एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट को संदर्भित करता है और उस पर भरोसा करता है, जिसमें पाया गया कि वित्तीय विवरणों में हेरफेर बी. रामलिंगा राजू और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था, और इसे निदेशक मंडल से दबा दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को ऐसे बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ में, अल्पसंख्यक का मानना है:

" 97. यदि वित्तीय परिणामों की मनगढ़ंत रचना (जो यहाँ यूपीएसआई है) को सत्यम के निदेशक मंडल से दबा दिया गया था, तो यह मानना मुश्किल होगा कि अपीलार्थी के पास [2018] 5 एस. सी. आर. भी था।

यू. पी. एस. आई. का, यू. पी. एस. आई. के आधार पर व्यापार करना छोड़ दें। यदि अपीलार्थी

एक निदेशक के रूप में वित्तीय के निर्माण का ज्ञान था बयान (जो यहाँ यू. पी. एस. आई. है), उसे उल्लंघन करने वाला माना जाना चाहिए

पीएफयूटीपी विनियम। तथापि, आक्षेपित आदेश में, डब्ल्यू. टी. एम. सबूतों की कमी के कारण पी. एफ. यू. टी. पी. उल्लंघन के आरोप को हटा देता है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी का सी. एस. आर. कभी भी कब्जे में नहीं था

यूपीएसआई से। इसे ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यू. टी. एम. का निष्कर्ष कि अपीलार्थी

इस अवधि के दौरान पी. आई. टी. विनियमों का उल्लंघन कानूनी रूप से नहीं माना जाता है। टिकाऊ "।

13. उक्त निर्णय में कहा गया कि अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सकता है

एक प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया जाए क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एक निदेशक के रूप में उनके हस्ताक्षर थे, उन्हें एक प्रवर्तक के रूप में नहीं दिखाया गया था। उनकी पीठ के पीछे जो किया गया वह यह था कि बी. रामलिंगा राजू और बी. रामा राजू ने अपीलार्थी की जानकारी या सहमति के बिना उन एक्सचेंजों को लिखे गए पत्रों में उन्हें केवल विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया था। अल्पमत निर्णय इस तथ्य को भी संदर्भित करता है कि अपीलार्थी के शेयर एस. सी. एस. एल. में एस. ई. एस. के विलय के समय लॉक-इन अवधि के अधीन नहीं थे, जो लॉक-इन अवधि कानून द्वारा अनिवार्य थी। प्रवर्तकों के लिए। वास्तव में, अपीलकर्ता बी. रामलिंगा राजू और उनके भाई बी. राम राजू द्वारा ठगे गए व्यक्तियों में से एक था और इसलिए, एससीएसएल के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार था। अल्पमत निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है:

" 114. जवाब में सी. एस. आर. दावा करता है कि उनके पास मजबूर करने वाले कारण थे

शेयर बेचना और उसी के कब्जे में रहते हुए नहीं किया गया था

यूपीएसआई, क्योंकि उनके पास कभी भी यूपीएसआई नहीं था। अपीलार्थी दावा करता है कि उसका व्यापार पैटर्न यह भी दर्शाता है कि वह इसमें नहीं था

यूपीएसआई का अधिकार। विशेष रूप से, सी. एस. आर. का दावा है कि

ए। वह संबंधित अवधि से पहले ही कोष के लिए शेयर बेच रहा था।

उनका नवनिर्मित उद्यम पूंजी निवेश व्यवसाय (अपीलार्थी)

28.12.1999 से 20.06.2000 के बीच 70,000 शेयर बेचे, उन्होंने

फिर से

2,00,000 शेयर 2000-2001 में बेचे गए)।

बी। अन्य अपीलार्थियों के विपरीत, अपीलार्थी ने अपना पूरा पैसा नहीं बेचा।

शेयरधारिता एक बार में, लेकिन जब भी उसने अपनी शेयरधारिता बेची

एक व्यावसायिक आवश्यकता थी। अपीलार्थी ने समझाया कि उसने व्यवस्था की थी उनका अपना उद्यम पूंजी निवेश व्यवसाय जिसने

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में शेयर और इसलिए कोई तर्क नहीं था उसे सत्यम के शेयर खरीदने के लिए।

चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सी। जबकि वास्तविक प्रवर्तकों ने 2005 तक अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी, अपीलार्थी के पास वर्ष तक अपनी हिस्सेदारी बनी रही।

2008 .

डी। अपीलार्थी ने विलय की घोषणा के बाद सत्यम के शेयरों की कीमत में गिरावट के बाद अपनी पूरी हिस्सेदारी का निपटान कर दिया और इसके बाद सत्यम और मायटास संस्थाओं (श्री रामलिंगा राजू द्वारा प्रवर्तित) के बीच विलय को रद्द कर दिया। उनके बेटे)

ई. बिक्री से प्राप्त आय एक निश्चित अवधि के दौरान अपीलार्थी की व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए खर्च की गई। अपीलार्थी ने वास्तविक व्यवसाय के लिए बिक्री आय के उपयोग को दिखाने के लिए साक्षय प्रस्तुत किए

आवश्यकताएँ "।

14. यह भी पाया गया कि वर्ष 2006 तक सभी वास्तविक प्रवर्तक

एस. सी. एस. एल. के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने उस तारीख को कीमत का लाभ उठाने के लिए अपनी हिस्सेदारी के एक बड़े हिस्से का 22.12.2008 पर निपटान किया, इस निष्कर्ष को पूरी तरह से नकारता है कि बी. रामलिंगा राजू, बी. राम राजू और अपीलार्थी के बीच कोई सूचना प्रवाह था। यह भी बताया गया कि अपीलार्थी का अपने सह-भाई के साथ कोई पेशेवर या व्यावसायिक संबंध नहीं था और उसका अपने सह-भाई द्वारा बनाई गई किसी भी संस्था के साथ कोई संबंध नहीं था। यह तथ्य कि अपीलार्थी धोखाधड़ी वाले हेरफेर में शामिल नहीं था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 में उनका कार्यकारी निदेशक बनना बंद हो गया था। धोखाधड़ी का हेरफेर 2001 से ही शुरू हुआ। अल्पमत निर्णय द्वारा यह भी महत्वपूर्ण माना गया कि अपीलार्थी सत्यम इन्फोवे के निदेशक मंडल में एससीएसएल का नामांकित व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अन्य तीसरे पक्ष के निवेशक का था। 15. अल्पमत निर्णय ने तब एक कार्यकारी और एक गैर-कार्यकारी निदेशक के बीच के अंतर को नोटिस किया।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

! ) 16 9 पर एस. सी. सी. 1 में कहा गया है:

" 17. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी, जो प्रबंध निदेशक की पत्नी थी, को 1-7-2004 पर कंपनी मेसर्स एलीट इंटरनेशनल (P) लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने 19-1-2005 पर गारंटी पत्र भी निष्पादित किया था। विचाराधीन चेक अप्रैल 2008 से सितंबर 2008 के दौरान जारी किए गए थे। जहाँ तक चेकों के अपमान का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि चेकों पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता प्रबंध निदेशक नहीं था, बल्कि केवल कंपनी का एक गैर-कार्यकारी निदेशक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी के शासन का संरक्षक होता है, लेकिन वह इस कार्य में शामिल नहीं होता है।

अपने व्यवसाय के संचालन के दिन के मामलों और केवल निगरानी

विशेष रूप से अपने व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। बस। क्योंकि एक व्यक्ति एक कंपनी का निदेशक है, उसे नहीं बनाता है

एन. आई. अधिनियम के तहत उत्तरदायी। हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है

कंपनी प्रावधान के दायरे में नहीं आएगी। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह दावा किया गया है कि केवल वही व्यक्ति

जो संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे

अपराध के समय कंपनी का व्यवसाय आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। एक निदेशक, जो संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी नहीं था और जिम्मेदार नहीं था, किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत। राष्ट्रीय लघु उद्योगों में

कॉर्प. [ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। लिमिटेड वी. हरमीत

सिंह पेंटल (2010) 3 एस. सी. सी. 330: ( 2010 ) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 677: ( 2010 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1113] इस न्यायालय ने कहा: ( एस. सी. सी पी. 336 , पैरा

13-14 )

" 13. धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो प्रत्यावर्ती दायित्व पैदा करता है, और जिसका, तय किए गए कानून के अनुसार, सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसलिए, एक शिकायत में एक गंजा सरसरी बयान देना पर्याप्त नहीं है कि निदेशक (एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत) कंपनी के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है।

हिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम के संबंध में कंपनी का व्यवसाय।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निदेशक की भूमिका। लेकिन शिकायत में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी 1 अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अभियुक्त कंपनी का प्रभारी कैसे और किस तरह से था या उसके प्रति उत्तरदायी था। यह दंडात्मक कानूनों की सख्त व्याख्या के अनुरूप है, विशेष रूप से, जहां इस तरह के कानून प्रत्यावर्ती बनाते हैं। दायित्व।

14. एक कंपनी में कई निदेशक हो सकते हैं और

शिकायत में अभियुक्त के रूप में कोई भी या सभी निदेशक केवल इस कथन के आधार पर कि वे बिना किसी और चीज़ के कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, पर्याप्त या पर्याप्त पूर्ति नहीं है।

धारा 141 के तहत आवश्यकताओं की।

अत: गैर-कार्यकारी निदेशक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के संचालन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में सक्षम नहीं होते हैं और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार नहीं होते हैं।

ओम्पनी।

17. लॉर्ड हेल्सबरी का एक निर्देशात्मक निर्णय में निहित है

y और मेट्रोपॉलिटन बैंक v. जॉन कोरी [1901] एसी 477।

लॉर्ड चांसलर ने इसे इस प्रकार रखा:

" उपेक्षा का आरोप इस दावे पर आधारित प्रतीत होता है कि श्री. अन्य निदेशकों की तरह, कोरी ने महाप्रबंधक या अध्यक्ष द्वारा उनके सामने नहीं लाए गए व्यवसाय के किसी भी विवरण में भाग नहीं लिया, और यह तर्क एक गंभीर सवाल उठाता है कि निदेशकों जैसे पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी क्या है, उन्हें किस हद तक अविश्वास करने और उनके खिलाफ सतर्क रहने के लिए कहा जाता है।

हर स्तर के उनके अधीनस्थों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की संभावना। यह स्पष्ट है कि यदि ऐसा कोई कर्तव्य है तो उसे श्रम के बुद्धिमान हस्तांतरण जैसी किसी भी चीज़ को असंभव बना देना चाहिए। क्या श्री कोरी को खुद को एक लेखा परीक्षक, एक प्रबंध निदेशक, एक अध्यक्ष के रूप में बदलना था और यह पता लगाना था कि क्या लेखा परीक्षक, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष सभी समान रूप से उन्हें धोखा दे रहे थे? यह स्पष्ट है कि लेखा परीक्षकों के पत्र उनसे रखे गए थे। कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि प्रावधान था खराब ऋणों के लिए किया गया था, और यह कि वह इस तरह के आश्वासनों को मानता था, यह स्वीकार करने में शामिल है कि वह किसी भी नैतिक धोखाधड़ी का दोषी नहीं था; ताकि यह बात सामने आए कि उसे साजिश और धोखाधड़ी के एक नेटवर्क का पता लगाना चाहिए था जिससे वह घिरा हुआ था, और पता चला कि उसके अपने भाई और प्रबंध निदेशक (जिनके पास [2018] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसके बाद से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है

उनके संबंधित कार्यालय) उन्हें अभ्यावेदन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे

कंपनी की संभावनाओं और उचित रूप से लाभांश के बारे में

देय जो अनुचित और गलत साबित हुए हैं। मैं नहीं कर सकता। सोचिए कि एक निर्देशक से यह उम्मीद की जा सकती है कि उसे देखना चाहिए

या तो बैंक के कनिष्ठ अधिकारी या गणनाओं का सत्यापन करना

स्वयं लेखा परीक्षकों से। जीवन का व्यवसाय नहीं चल सकता था अगर

लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे जिन्हें विश्वास की स्थिति में रखा जाता है

प्रबंधन के विवरणों पर ध्यान देने का स्पष्ट उद्देश्य। यदि श्री.

कोरी को उसके अपने अधिकारियों ने धोखा दिया था-और उसके सिद्धांत नैतिक धोखाधड़ी से मुक्त होना परिस्थितियों के तहत माना जाता है

मुझे लगता है कि वह वहाँ था, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है।

यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि खराब ऋणों के लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त था।

बाकी सब। यदि बैंक की स्थिति और स्थिति क्या थी प्रतिनिधित्व किया, तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि लाभांश में भुगतान की गई राशि

अत्यधिक था।

( पृष्ठों पर 485-86)

आदेश डेवी, यह आयोजित किया गया था:

प्रतिवादी द्वारा अनुसरण किया जाने वाला एक उचित मार्ग था और अन्य निदेशक, या क्या वह ज्ञान जो हो सकता है

साप्ताहिक की सावधानीपूर्वक और तुलनात्मक परीक्षा से प्राप्त

राज्यों और विभिन्न शाखाओं से तिमाही रिटर्न

उसे नुकसान के लिए उत्तरदायी बना देगा। मुझे नहीं लगता कि यह बनाया गया है कि बाद के दो प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिया जाना चाहिए

सकारात्मक। मुझे लगता है कि प्रतिवादी उसे देने के लिए बाध्य था

व्यवसाय के एक व्यक्ति के रूप में ध्यान दें और अपने निर्णय का प्रयोग करें

वे मामले जो बोर्ड की बैठकों में सामने लाए गए थे

जिसमें उन्होंने भाग लिया, और यह साबित नहीं होता कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन

मुझे लगता है कि उन्हें निर्णय, जानकारी पर भरोसा करने का अधिकार था और अध्यक्ष और महाप्रबंधक की सलाह, जिनकी ईमानदारी के बारे में,

उनके पास कौशल और योग्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। मैं सहमत हूँ।

हॉलमार्क के मामले में सर जॉर्ज जेसल ने क्या कहा था, और चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

शाखाओं से वापसी के माध्यम से, और पहले लाने के लिए उनके विचार की आवश्यकता वाले किसी भी मामले को बोर्ड करें; लेकिन प्रतिवादी

मेरी राय में, उनकी जाँच न करने में लापरवाही का दोषी नहीं था

अपने लिए, इसके बावजूद कि उन्हें मेज पर रखा गया था संदर्भ बोर्ड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला कुछ कठिनाइयों में से एक है।

लेकिन अपीलार्थी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया है कि प्रतिवादी जानबूझकर (जैसा कि उस शब्द को उन मामलों में समझाया गया है जो मेरे पास हैं)

संदर्भित) के भुगतान में कंपनी के धन का दुरुपयोग किया गया

लाभांश "।

( पृष्ठों पर 492-493)

18. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने केवल छह बार भाग लिया

एस. सी. एस. एल. की दस बोर्ड बैठकों में से उस अवधि के लिए जब वे एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे। अपीलार्थी किसी भी व्यवसाय में शामिल नहीं था।1999 के बाद एस. सी. एस. एल. के नए उद्यमों पर विकास, विविधीकरण योजनाएं और सलाह। अल्पमत निर्णय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि पूर्णकालिक सदस्य और बहुमत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से कारण बताए जाने की सूचना से परे थे, जिसे जब अनुलग्नक 15 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है

स्पष्ट करें कि अपीलार्थी को केवल प्रवर्तक के रूप में शामिल करने की मांग की गई है।

एक बार जब यह पाया जाता है कि वह प्रवर्तक नहीं है, तो कारण दिखाएँ नोटिस का आधार विवादित फैसले का आधार भी होता है।

19. गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. सीसीई, (2008) 17 एससीसी 471 पर 471 , इस न्यायालय ने कहा:

( पी. जी. जी.) जो कारण बताए जाने के दायरे से बाहर है। हम. हम स्वयं कारण दर्शाओ नोटिस से गुजरे हैं और हम हैं

इस बात से संतुष्ट कि न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष जहाँ तक वह है

"संबंधित व्यक्ति" से संबंधित होना कारण दिखाने के दायरे से बाहर है।

नोटिस और इसलिए, उसी को बनाए नहीं रखा जा सकता है और है

तदनुसार अलग रख दें। "

एस. ए. सी. आई. एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड में भी इसी तरह का निर्णय लिया गया है।

वी. सी. सी. ई. (2005) 7 एस. सी. सी. 159 168-169:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 15. अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा है, हालांकि, पूरी तरह से नए और अलग आधार पर जो विभाग के मामले में कभी भी कारण बताए जाने के नोटिस या विवादित आदेश में नहीं था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में कहा है:

" पूरे देश में सभी थोक विक्रेताओं और सभी थोक खरीदारों को खरीदारों का एक वर्ग नहीं बनाया जाएगा। मेसर्स एस. ए. सी. आई. और एस. सी. आई. एल. संबंधित व्यक्ति थे। एम/एस एस. ए. सी. आई. ने एस. सी. आई. एल. के माध्यम से यू. पी. राज्य में अपना माल बेचा और यू. पी. राज्य में एस. ए. सी. आई. द्वारा कोई प्रत्यक्ष बिक्री नहीं की गई।

गोरामल हरि राम लिमिटेड, जिन कीमतों पर एस. सी. आई. एल.

उत्तर प्रदेश राज्य में एस. ए. सी. आई. के माल का निपटान किया गया था शुल्क निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य के रूप में सही ढंग से लिया गया

अधिनियम की धारा 4 के तहत एस. ए. सी. आई. का दायित्व।

16. इस प्रकार अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, चूंकि उत्तर प्रदेश में विक्रेता जिन्होंने सिंडेट से माल खरीदा था, और

देश के अन्य हिस्सों में स्वतंत्र विक्रेता जिन्हें अपीलकर्ताओं ने सीधे माल बेचा, वे खरीदारों के विभिन्न वर्ग हैं, स्वतंत्र विक्रेताओं को अपीलकर्ताओं की कीमत को उत्तर प्रदेश में सिंडेट को अपीलकर्ताओं की बिक्री का आकलन करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के पहले परंतुक पर आधारित है। जबकि कारण दर्शाओ नोटिस और कलेक्टर का आदेश के आधार पर आगे बढ़ा

अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के तीसरे परंतुक का आह्वान, अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहली बार विवादित आदेश में धारा के पहले परंतुक के आधार पर कार्यवाही को कायम रखा है।

4 ( 1 ) ( (क) अधिनियम। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के पहले परंतुक को विभाग द्वारा कभी भी कारणदर्शक नोटिस या विवादित आदेश में लागू नहीं किया गया था और यह पहली बार था जब अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के पहले परंतुक को लागू करके विवादित आदेश को बनाए रखने की मांग की थी। इस प्रकार यह देखा गया है कि न्यायाधिकरण पूरी तरह से कारणदर्शक नोटिस और न्यायाधिकरण के आदेश से परे चला गया है।

कलेक्टर, जो अस्वीकार्य है। अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के खिलाफ राजस्व के मामले को इस आधार पर कायम नहीं रख सकता है कि राजस्व ने कारणदर्शक नोटिस या आदेश में ऐसा नहीं किया है।

हिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

17. इस संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से इस निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

रेकिट एंड कोलमैन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में न्यायालय बनाम सीसीई

[ ( 1997 ) 10 एससीसी 379: ( 1996 ) 88 ई. एल. टी. 641]। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसके पक्ष में निर्णय लेना न्यायाधिकरण की क्षमता से परे है - राजस्व एक ऐसा मामला है जिसका राजस्व ने कभी प्रचार नहीं किया था

और जिसे अपीलार्थियों को कभी भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी।

18. न्यायाधिकरण का विवादित आदेश जो कारण दर्शाओ नोटिस और प्रतिवादी कलेक्टर के आदेश से परे चला गया था

इसलिए इसे अलग रखा जा सकता है "।

20. हालाँकि, श्री सिंह ने तर्क दिया कि रिट अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 और सूचीबद्धता अधिनियम के खंड 35 के आधार पर, जो हमें 1997 के विनियम 2 (1) (एच) (आई) पर ले जाता है, अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले का समर्थन करने के लिए, यह कहते हुए कि अपीलकर्ता 1993 से 1993 तक एक कार्यकारी निदेशक था।, उसे एक ऐसा व्यक्ति कहा जाना चाहिए जो किसी के निदेशक के रूप में नियंत्रण में है और इसलिए एक प्रवर्तक है। 1997 का विनियम 2 (1) (एच) (आई)

लैशन में कहा गया है:

( 1 ) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो ( ज) "प्रवर्तक" का अर्थ है

( i) वह व्यक्ति या व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के नियंत्रण में हैं, चाहे वह शेयरधारक, निदेशक के रूप में हो या अन्यथा;

" "नियंत्रण" को 1997 के विनियमों के निचले स्तर के विनियम 2 (1) (सी) द्वारा परिभाषित किया गया है:

" ( ग) "नियंत्रण" में अधिकांश लोगों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल होगा।

निदेशक या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान शामिल हैं।

समझौते या किसी अन्य तरीके से;

स्पष्टीकरण।

( i) जहां लक्षित कंपनी पर दो या दो से अधिक व्यक्ति नियंत्रण में हैं, ऐसे नियंत्रण से ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के उपकरकर्ता को प्रबंधन के नियंत्रण में परिवर्तन नहीं माना जाएगा और न ही [2018] 5 एस. सी. आर.

प्रकृति और नियंत्रण की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा

वे प्रबंधन के नियंत्रण में परिवर्तन का गठन करते हैं: बशर्ते कि संयुक्त नियंत्रण से एकल नियंत्रण में हस्तांतरण उप-विनियमन (1) के खंड (ई) के अनुसार किया जाता है

विनियम 3.

( (ii) यदि विनियमन 3 के अनुसार लक्षित कंपनी के नियंत्रण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, अर्जित नियंत्रण नियंत्रण के इस तरह के अधिग्रहण से पहले व्यक्ति (ओं) द्वारा प्रयोग किए गए नियंत्रण के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे नियंत्रण को नियंत्रण में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

नियंत्रण "।

भले ही 1997 के विनियमों में "नियंत्रण" की परिभाषा एक समावेशी है, फिर भी परिभाषा से पता चलता है कि नियंत्रण का अर्थ एक अधिकार होना चाहिए।

अधिकांश निदेशकों को शेयरधारक के रूप में नियुक्त करना या किसी भी तरह से व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करना। यह इंगित किया जा सकता है, जैसा कि श्री विश्वनाथन द्वारा प्रत्युत्तर में सही तर्क दिया गया है, कि अपीलकर्ता एक निश्चित मासिक वेतन पर एक कार्यकारी निदेशक था, जो लगभग 2000 में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में पद छोड़ने के समय प्रति माह रु. 1,00,000/- की सीमा में था। पद छोड़ने के बाद, हमें बताया गया कि वेतन रोक दिया गया था, और उन्हें केवल बोर्ड की बैठकों के लिए भुगतान किया जाता था जिसमें वे शामिल होते थे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे यह संकेत मिले कि तथ्यों के आधार पर ऐसा कार्यकारी वेतनभोगी निदेशक किसी भी तरह से था

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एस. सी. एस. एल. का नियंत्रण। वार्षिक रिपोर्ट में "स्वतंत्र" शब्द की अनुपस्थिति भी हमें बहुत दूर नहीं ले जाती है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि वे 2000 से 2003 तक एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, जिन्होंने केवल छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया और इसके लिए वेतन प्राप्त किया। हमें यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलार्थी किसी भी तरह से कैसे जिम्मेदार था

चीजों के बारे में जानने की अपेक्षा केवल मूलभूत तथ्यों से लिए गए उचित निष्कर्षों पर आधारित हो सकती है। इस न्यायालय ने एस. ई. बी. आई. बनाम किशोर आर. अजमेर, (2016) 6 एस. सी. सी. 368 383 पर, ने कहा:

" 26. यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप का प्रमाण प्रत्यक्ष ठोस साक्षय के रूप में हो सकता है या, जैसा कि कई मामलों में, इस तरह के प्रमाण

का अनुमान उपस्थित चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम की समग्रता से तर्क की तार्किक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है।

लगाए गए और लगाए गए आरोपों के आसपास के तथ्य और परिस्थितियाँ। जबकि प्रत्यक्ष साक्षय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अधिक निश्चित आधार है, फिर भी, इसके अभाव में न्यायालय असहाय नहीं हो सकते हैं। यह न्यायिक कर्तव्य है कि तत्काल और

जिन घटनाओं पर आरोप/आरोप लगाए गए हैं, उनके आसपास के निकटवर्ती तथ्य और परिस्थितियाँ और अदालत को जो एक उचित निष्कर्ष प्रतीत होता है, उस तक पहुँचना। परीक्षण हमेशा यह होगा कि कौन सी अनुमानित प्रक्रिया है कि विवेकपूर्ण/विवेकपूर्ण व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गोद लेगा।

21. हमारा विचार है कि केवल इस तथ्य से कि अपीलार्थी ने दो संयुक्त उद्यम कंपनियों को बढ़ावा दिया, जिनमें से एक का अंततः विलय हो गया।

एस. सी. एस. एल. के साथ, और यह तथ्य कि वह बी. रामलिंगा राजू के सह-भाई थे, बिना अधिक के, मूलभूत तथ्यों के रूप में नहीं कहा जा सकता है जिनसे गोपनीय जानकारी के ज्ञान में उचित रूप से होने की उम्मीद की जा सकती है। यह तथ्य कि अपीलार्थी को फिर से प्रतिस्थापित किए जाने तक निदेशक के रूप में जारी रखा जाना था, हमें कहीं नहीं ले जाता है। श्री विश्वनाथन ने हमें दिखाया है कि उनके स्थान पर दो अन्य स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि अपीलार्थी ने एससीएसएल के कार्यकारी निदेशक के रूप में इस्तीफा देने के बाद अपनी सारी ऊर्जा उन व्यवसायों के लिए समर्पित कर दी जो वह चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एससीएसएल द्वारा उसे वेतन दिया जा रहा था। बंद कर दिया।

22. अल्पमत निर्णय और वन आधारित चर्चा में निहित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि

दृष्टिकोण कानून और तथ्यों दोनों में सही है और हमारी स्वीकृति के योग्य है।

इसलिए, इस अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को खारिज कर दिया जाता है।

2017 का सिविल आवेदन NO.19494

23. इस अपील में अपीलकर्ता चिंतलपति श्रीनिवास राजू और उनकी पत्नी की एक निजी कंपनी है, जिसमें प्रत्येक की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इस कंपनी की शेयर पूंजी। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरि ने इस अपीलार्थी से संबंधित पूर्णकालिक सदस्य और अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उनकी शिकायत यह है कि इस बात की सराहना करने के बाद कि अपीलकर्ता ने केवल एस. सी. एस. एल. में रखे गए 8,00,000 शेयर बेचे थे, फिर भी, विघटन के परिचालन क्रम में,

विद्वान पूर्णकालिक सदस्य में 24,00,000 शेयर शामिल हैं जो अपीलकर्ता द्वारा कभी नहीं बेचे गए थे, लेकिन जिनके लिए केवल आवेदन [2018] 5 एस. सी. आर. है।

17.4.2002 द्वारा धन प्राप्त किया गया और वापस किया गया। इस प्रकार, विसंगति क्रम में 8,00,000 के साथ-साथ 24,00,000 शेयरों के कारण किए गए लाभ शामिल हैं और इसलिए, खगोलीय आंकड़े पर आता है

रु. 82,49,37,875 / - . उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले का भी उल्लेख किया और यह कहने के लिए अल्पसंख्यक फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया कि इस अपील का परिणाम 2017 की सिविल अपील संख्या 16805 के परिणाम पर होना चाहिए।

24. एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने तथ्यात्मक स्थिति का विरोध नहीं किया और काफी हद तक सहमत हुए।

कि इस अपील का भाग्य 2017 की सिविल अपील संख्या 16805 के परिणाम के समान होगा।

25. तथ्यों पर, अपीलार्थी ने 4.1.2001 से 14.3.2001 तक 8,00,000 शेयर बेचे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, की घटना

यू. पी. एस. आई. केवल 31.3.2001 से था और क्योंकि ये बिक्री की गई थी। इस तारीख से पहले, जाहिर है, 1992 के विनियम आकर्षित नहीं होंगे। अपीलीय न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय ने इसे संदर्भित किया और

उन्होंने कहा कि परिणाम 2015 की अपील No.462 के परिणाम के समान होगा, अर्थात् बी. झांसी रानी, जो बी. रामलिंगा राजू और बी. रामा राजू के भाई बी. सूर्यनारायण राजू की पत्नी थीं।

उस मामले में भी, यू. पी. एस. आई. की घटना से पहले शेयर बेचे गए थे और उसी आधार पर, बी. झांसी रानी की अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले द्वारा अल्पसंख्यक सहमति के साथ अनुमति दी गई थी। अल्पमत निर्णय में आगे कहा गया कि 24,00,000 शेयर भी, जो कभी नहीं बेचे गए थे, लेकिन केवल चिंतलपति श्रीनिवास राजू को वापस कर दिए गए थे, किसी भी विघटन आदेश का आधार नहीं बन सकते थे। हम भी इसी बात से सहमत हैं।

26. इसके बाद बहुमत का फैसला विनियमन पर निर्भर हो गया।

2 ( ज) (ix)। जैसा कि अल्पसंख्यक निर्णय द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है, विनियमन 2 (एच) (ix) संबंधित समय पर, 20.2.2002 से पहले, निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

" परिभाषाएँ।

2. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो:

( ज) "व्यक्ति को एक जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है", यदि ऐसा व्यक्ति ( (ix) ऐसी संस्था, फर्म, न्यास, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, व्यक्तियों का संघ जिसमें उपखंड (vi), (vii) और (viii) में उल्लिखित व्यक्तियों के रिश्तेदारों की हिस्सेदारी या ब्याज 10 प्रतिशत से अधिक हो। चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम।

27. जाहिर है, अपीलकर्ता कंपनी में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उपखंड (vi), (vii) और (viii) में उल्लिखित व्यक्तियों के रिश्तेदार हैं-इन उपखंडों के तहत, एक व्यक्ति को एक जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है यदि ऐसा व्यक्ति खंड (i) से (v) में व्यक्तियों का रिश्तेदार है; या कंपनी का बैंकर है; या किसी जुड़े हुए व्यक्ति का रिश्तेदार है। चूंकि इनमें से कोई भी खंड आकर्षित नहीं होता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 2 (एच) (ix) भी, कानून के मामले के रूप में, इस मामले के तथ्यों में आकर्षित नहीं होगी। इस दृष्टि से

इस मामले में, इस अपील की भी अनुमति है। नतीजतन, अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के बहुमत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

2017 का डी. आई. ए. आर. आई. NO.37202

28. इस दीवानी अपील में, अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, श्री सुब्रमण्यम प्रसाद का तर्क है कि

अपीलार्थी, जो श्री चिंतलपति श्रीनिवास राजू के पिता हैं, न तो एस. सी. एस. एल. के प्रवर्तक थे और न ही निदेशक थे और तब से उनकी मृत्यु आई. डी. 1 पर हुई है। वे श्री चिंतलपति श्रीनिवास राजू से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके पिता, लेकिन उनके नाम पर जो शेयर थे, वे अगस्त में बेचे गए,

2005 , वह संभवतः किसी जुड़े हुए व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं हो सकता था क्योंकि श्री चिंतलपति श्रीनिवास राजू स्वयं जुलाई, 2003 से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं रह गए थे। अपीलीय न्यायाधिकरण का अल्पमत निर्णय निम्नलिखित तरीके से इस स्थिति की सही सराहना करता है:

" 142. अपीलार्थी सी. एस. आर. के जनक थे। अपीलार्थी ने 04.08.2005 पर 2,50,000 शेयर बेचे। अपीलार्थी की अवधि 03.12.2007 पर समाप्त हो गई। विवादित आदेश अपीलार्थी को एक ऐसा व्यक्ति मानता है जिसे माना जाता है विनियमन 2 (एच) (viii) के तहत जुड़ा होना, क्योंकि वह एक जुड़े हुए व्यक्ति (सीएसआर) (पैरा 37) का रिश्तेदार था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सी. एस. आर. 22.07.2003 पर जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रह गया है। नतीजतन, जब अपीलार्थी ने 04.08.2005 पर शेयर बेचे, तो वह "एक संबद्ध व्यक्ति" नहीं हो सकता था क्योंकि सीएसआर स्वयं एक संबद्ध व्यक्ति नहीं रह गया था। केवल इस छोटे से बिंदु पर, डब्ल्यू. टी. एम. का आदेश रद्द और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

29. इस अपील को भी अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अन्यथा यह 2017 की सिविल अपील No.16805 को अनुमति देने पर लागू होती है।

2017 का सिविल आवेदन NO.17303

30. इस अपील में, अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम ने कहा कि वर्तमान अपीलार्थी बी. रामलिंगा राजू, बी. रामा राजू और बी. सूर्यनारायण [2018] 5 एस. सी. आर. की मां हैं।

राजू। वह न तो एस. सी. एस. एल. की प्रवर्तक थीं और न ही निदेशक थीं और हार गई थीं।

वर्ष 2001 में उनके पति। उन्होंने 12 और 15 दिसंबर, 2003 को एस. सी. एस. एल. में अपने शेयरों को तीन समूह कंपनियों को बाजार से बाहर बिक्री में बेच दिया, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी क्योंकि उन्हें एक विधवा के रूप में खुद को बनाए रखना था। श्री सुंदरम के अनुसार, हालांकि उनका मुवक्किल बी. रामलिंगा राजू का रिश्तेदार होगा और इसलिए, एक जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, फिर भी, यह स्पष्ट है कि बाजार से बाहर के लेनदेन वर्ष 2003 में काफी पहले हुए थे।

लगभग Rs.340/- प्रति शेयर की कीमत 1992 के विनियमों को आकर्षित नहीं करती थी क्योंकि इसके बाद ही इन शेयरों की कीमत तेजी से बढ़कर रु। 966.80 / - वर्ष 2006 के अंत में। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, इस महिला की उसके बेटे और उसके साथियों द्वारा की गई धोखाधड़ी में किसी भी तरह की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने पूर्णकालिक सदस्य के फैसले और अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सब पाया गया है

सी. बी. आई. या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और यह कि एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट किसी भी तरह से उनका उल्लेख नहीं करती है, और इस तथ्य को देखते हुए कि वह न तो एस. सी. एस. एल. की प्रवर्तक थीं और न ही निदेशक, यह स्पष्ट है कि दूसरे का परीक्षण खंड 2 (ई) (आई) का हिस्सा इस अपील के तथ्यों में पूरा नहीं होता है। साथ ही, यह भी याद रखना चाहिए कि अगर उसके पास यूपीएसआई होता, तो वह

वर्ष 2003 में भी शेयरों को कम कीमत पर बेचने के बजाय अपने चरम मूल्य पर बेच दिया है। इन सभी कारणों से, इस अपील की भी अनुमति दी जाती है, और अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

2017 का नागरिक आवेदन NOs.17313 और 2017 का 17,978

31. श्री नीरज किशन कौल, 2017 की सिविल अपील No.17313 में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, और श्री मोहन

2017 की सिविल अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील परासरन ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि उनके मुवक्किल, बी. रामलिंगा राजू के पुत्र होने के नाते, 1992 के विनियमों के तहत उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर निश्चित रूप से रिश्तेदार थे। हालाँकि, वे न तो निदेशक थे और न ही एससीएसएल के प्रवर्तक थे और अपने पिता द्वारा की गई धोखाधड़ी में शामिल नहीं थे, जैसा कि उनके पक्ष में माना गया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा। इसके अलावा, सी. बी. आई. और प्रवर्तन निदेशालय चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम।

उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट में उनकी संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इन दोनों भाइयों ने एससीएसएल में अपने शेयर बेच दिए।

इन अपीलार्थियों में से कोई भी, इस तथ्य में कि उनके पिता द्वारा की गई धोखाधड़ी में किसी भी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है; इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त धोखाधड़ी से स्पष्ट रूप से दोषमुक्त कर दिया गया था; और इस तथ्य को देखते हुए कि वे स्वतंत्र व्यवसाय चला रहे थे और न तो निदेशक थे और न ही एससीएसएल के प्रवर्तक थे, और उन्होंने अपने शेयरों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उस चरम मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेच दिया जिस पर वे थे। उनके पिता ने 2006 में एस. सी. एस. एल. के शेयर बेचे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है। नतीजतन, उनकी अपीलों को भी अनुमति दी जाती है और इस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

2017 का नागरिक आवेदन NO.17997

32. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी कहते हैं कि उनके मुवक्किल एक ऐसी कंपनी थी जिसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आईडी1 पर निगमित किया गया था। उनके अनुसार, उनकी कंपनी के पास एस. सी. एस. एल. के 317 शेयर थे, जिन्हें ऋण राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था। 1258.88 करोड़। उक्त राशि 10 स्वतंत्र कंपनियों को धन प्रदान करने के लिए उधार ली गई थी। जैसे कि रु. 1255 विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, इस राशि में से करोड़ों रुपये का आंशिक रूप से गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री के माध्यम से भुगतान किया गया है, गिरवी रखने का यह लेनदेन संभवतः उनके मुवक्किल को 1992 के विनियमों के किसी भी उल्लंघन में नहीं खींच सकता है।

33. श्री सी. यू. सिंह, जो एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं, ने हमें अपील का बहुमत निर्णय पढ़ा है।

न्यायाधिकरण, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उधार ली गई राशि का उपयोग 10 निजी लिमिटेड कंपनियों को धन प्रदान करने के लिए किया गया था, जो राजू परिवार के स्वामित्व में थीं। समान रूप से, [2018] 5 एस. सी. आर. का शेयरधारिता स्वरूप।

अपीलकर्ता कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि बी. रामलिंगा राजू और उनकी पत्नी नंदिनी राजू के पास क्रमशः 33.11% और 40.52% है, जबकि शेष राशि उनके भाई बी. रामा राजू और उनकी पत्नी बी. राधा के पास है। जाहिर है, इसलिए, चूंकि बी. रामलिंगा राजू और बी. रामा राजू व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते थे, इसलिए अपीलकर्ता कंपनी को 1992 के विनियमों के विनियम 2 (एच) (ix) के तहत एक संबद्ध व्यक्ति माना जाता है। इस संदर्भ में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया:

" ज) अब यह स्थापित हो गया है कि रामलिंगा राजू और रामा राजू ने 2001 से 2008 की अवधि के दौरान सत्यम की पुस्तकों में हेरफेर किया। उस अवधि के दौरान रामलिंगा राजू, रामा राजू और उनकी पत्नियों ने सत्यम में अपनी हिस्सेदारी एस. आर. एस. आर. को हस्तांतरित कर दी और बदले में एस. आर. एस. आर. ने उन शेयरों को रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखा। 1258.88 समूह की संस्थाओं को एक करोड़ रुपये और ऋण का भुगतान नहीं किए जाने के कारण गिरवी रखे गए शेयरों को गिरवी रखकर बेच दिया गया है। इस प्रकार, एक ओर रामलिंगा राजू और रामा राजू ने सत्यम की पुस्तकों में हेरफेर किया और यह सुनिश्चित किया कि सत्यम का बाजार मूल्य अधिक हो और दूसरी ओर एस. आर. एस. आर. के माध्यम से सत्यम के शेयरों को गिरवी रखा गया और सत्यम के शेयरों के उच्च बाजार मूल्य के आधार पर अधिक ऋण प्राप्त किया गया। इन परिस्थितियों में, एस. ई. बी. आई. के डब्ल्यू. टी. एम. द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि एस. आर. एस. आर. से उचित रूप से अपेक्षित था

यूपीएसआई तक पहुंच है और इसलिए पी. आई. टी. विनियमों के विनियमन 2 (ई) के तहत एक 'अंदरूनी सूत्र' को दोष नहीं दिया जा सकता है। नतीजतन, एस. आर. एस. आर. द्वारा पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 3 का उल्लंघन करते हुए रामलिंगा राजू, रामा राजू और उनके जीवनसाथी के सत्यम के शेयरों को गिरवी रखने का एस. आर. एस. आर. के डब्ल्यू. टी. एम. का निर्णय।

गलती नहीं की जा सकती।

i) उपरोक्त के अलावा, जिस तरीके और तरीके से एस. आर. एस. आर. को शामिल किया गया था, जिस तरीके और तरीके से रामलिंगा राजू, रामा राजू और उनकी पत्नियों द्वारा सत्यम के शेयरों को एस. आर. एस. आर. को हस्तांतरित किया गया था और जिस तरीके और तरीके से सत्यम के शेयरों को गिरवी रखा गया था और गिरवी रखी गई राशियों का उपयोग किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस. आर. एस. आर. रामलिंगा राजू और रामा राजू द्वारा सत्यम में अपनी हिस्सेदारी को उतारने के लिए स्थापित एक अग्रणी इकाई थी, जब सत्यम के शेयरों का बाजार मूल्य सत्यम की पुस्तकों में दिखाए गए काल्पनिक बैंक शेष के कारण अधिक था। इसलिए, यह तर्क कि एस. आर. एस. आर. एक 'अंदरूनी' चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम नहीं था।

और सत्यम के शेयरों को गिरवी नहीं रखा था जब यूपीएसआई के कब्जे में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

XXX XXX XXX

1 ) परिणामस्वरूप, एस. ई. बी. आई. के डब्ल्यू. टी. एम. ने निर्णय लिया कि एस. आर. एस. आर. पी. आई. टी. विनियमों के तहत एक 'अंदरूनी सूत्र' था और एस. आर. एस. आर. ने यू. पी. एस. आई. के कब्जे में होने पर रामलिंगा राजू, रामा राजू और उनके जीवनसाथी के सत्यम के शेयरों को गिरवी रखा और बेच दिया।

एस. आर. एस. आर. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम का उल्लंघन किया और पी. आई. टी. विनियमों को लागू नहीं किया जा सकता है।

गलती हुई "।

34. हम विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले के इस निष्कर्ष से सहमत हैं और इसलिए इस अपील को खारिज करते हैं।

2017 का सिविल आवेदन NO.17383

35. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री लूथरा ने हमारे ध्यान में लाया कि उक्त अपीलार्थी न तो एक था

निदेशक और न ही एस. सी. एस. एल. का प्रवर्तक। एस. सी. एस. एल. में इस अपीलार्थी के स्वामित्व वाले शेयर उनके द्वारा 5.2.2001 से 18.11.2004 तक बेचे गए थे।

विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, उनका मामला बी. रामलिंगा राजू के परिवार के अन्य सदस्यों के मामले की तरह होगा, और कोई भी तथ्य जो कारण बताए जाने के नोटिस से परे हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, भले ही यह सच है कि उनके मुवक्किल को बी. रामलिंगा राजू और उनके भाई बी. राम राजू के साथ एस. एफ. आई. ओ की रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट और विशेष अदालत के फैसले में अभ्यारोपित किया गया था,

हैदराबाद को नहीं देखा जा सकता क्योंकि कारण बताए जाने के नोटिस में उन पर भरोसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, वे भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 40 से 44 के तहत बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं और इसलिए, उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही अलग और विशिष्ट हैं, और कोई भी न्यायनिर्णयन कार्यवाही में आपराधिक कार्यवाही पर भरोसा नहीं कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने राधेश्याम केजरीवाल बनाम का हवाला दिया। डब्ल्यू. बी. राज्य, (2011) 3 एस. सी. सी. 581, जिसका वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में अनुसरण किया गया था। महाराष्ट्र राज्य, (2016) 12 एस. सी. सी. 325। 36. एस. ई. बी. आई. की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील

श्री सी. यू. सिंह ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 246 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धारा 235 द्वारा प्रदत्त जांच शक्तियों के तहत दी गई एक रिपोर्ट थी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 246 यह स्पष्ट करती है कि ऐसी रिपोर्ट [2018] 5 एस. सी. आर. हो सकती है।

अन्य मामलों में साक्षय के रूप में प्राप्त किया गया। श्री सिंह, न्यायसंगत ठहराने के अलावा

इस अपीलार्थी के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय ने हमें एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट और फैसले के उद्धरण भी पढ़े।

यह दिखाने के लिए कि अपीलार्थी ने 2001 से जनता के साथ की गई धोखाधड़ी में बी. रामलिंगा राजू और उसके दूसरे भाई बी. राम राजू के साथ हाथ मिलाया था, विशेष अदालत, हैदराबाद की याचिका। इसलिए उन्होंने कहा कि जहां तक इस अपीलार्थी का संबंध है, हमें अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को बरकरार रखना चाहिए।

37. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 246 इस प्रकार हैः

" धारा 246। निरीक्षकों की रिपोर्ट होगी सबूत धारा 235 या 237 के तहत नियुक्त किसी भी निरीक्षक या निरीक्षक की किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति, जो इस तरह से प्रमाणित की गई है, यदि कोई हो, जो निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी कानूनी कार्यवाही में निरीक्षक या निरीक्षकों की राय के साक्षय के रूप में स्वीकार्य होगी।

रिपोर्ट में निहित कोई भी मामला।

38. इस धारा से यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य कार्यवाही में साक्षय के रूप में किया जा सकता है। भले ही यह कहना सही है कि यह रिपोर्ट 13.4.2009 पर दी गई थी, यानी 19.6.2009 पर कारण बताएँ नोटिस जारी किए जाने से पहले, केवल यह तथ्य कि यह कारण बताएँ नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ नहीं रखा गया था, हमारे लिए स्वतंत्र रूप से इसे न देखने का कोई कारण नहीं हो सकता है। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में इस रिपोर्ट में निहित निष्कर्षों पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 246 के तहत, यह न्यायालय है

रिपोर्ट में निहित किसी भी मामले के संबंध में संबंधित निरीक्षक की राय के साक्षय के रूप में इसे देखने का अधिकार। इसलिए, धारा 246 के आधार पर, हमारे लिए तथाकथित सत्यम घोटाले में अपीलार्थी की भूमिका की सराहना करना संभव है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया हैः

" 4.7.39 . श्री सूर्यनारायण राजू श्री बी. रामलिंगा राजू के छोटे भाई हैं, जो एससीएसएल के प्रबंध निदेशक श्री बी. राम राजू के अध्यक्ष और बड़े भाई हैं। वह श्री बी. रामलिंगा राजू और श्री बी. राम राजू के लिए धन की प्रतिज्ञा, हस्तांतरण, बिक्री और प्रबंधन को जोड़ रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वह स्वतंत्र रूप से एस. आर. एस. आर. एच. पी. एल. के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। उनमे

शपथ पर दिया गया वक्तव्य, श्री बी. रामलिंगा राजू, श्री बी. राम राजू, श्रीमती. बी. नंदिनी राजू और श्रीमती.

बी. राधा राजू के पास हिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम है। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

श्री सूर्यनारायण राजू विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। श्री रामलिंगा राजू ने उन्हें एस. आर. एस. आर. एच. पी. एल. की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति माना। श्री बी. रामा राजू अपने दिनांकित 02.04.2009 (अनुलग्नक ई. 2.4) में श्री बी. की नियुक्ति के कारण नहीं बता सके।

सूर्यनारायण राजू ने हालांकि कहा कि कंपनी में शेयर रखे बिना निदेशक नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। श्रीमती.

बी. नंदिनी राजू ने अपने दिनांकित 24.03.2009 (अनुलग्नक ई-41.1) के बयान में कहा कि श्री सूर्यनारायण राजू को परिवार के सदस्य और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में एसआरएसआरएचपीएल का निदेशक बनाया गया था। श्रीमती. बी. राधा राजू ने अपने दिनांकित 25.03.2009 (अनुलग्नक ई 40.1) के बयान में भी इसकी पुष्टि की। श्री बी. सूर्यनारायण राजू आई. डी. 1 (अनुलग्नक ई-38.1) दिनांकित उनके बयान में कहा गया है कि वह ऋण प्राप्त करने के लिए एस. आर. एस. आर. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए एस. सी. एस. एल. के शेयरों को गिरवी रखने के लिए श्री बी. रामलिंगा राजू के निर्देशों का पालन कर रहे थे।

4.7.40 . श्री सूर्यनारायण राजू को इन सभी व्यक्तियों द्वारा अपनी हिस्सेदारी को किसी भी तरह से बेचने/हस्तांतरित करने/सौदा करने/गिरवी रखने आदि के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर धन की व्यवस्था की।

विभिन्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम पर बैंक गिरवी रखकर एस. सी. एस. एल. के शेयर और मायटास इन्फ्रा लिमिटेड के शेयर, प्रवर्तकों के नाम पर रखे गए।

श्री बी. रामा राजू (जूनियर) और श्री बी. तेजा राजू की ओर से, दोनों एस. सी. एस. एल. के अध्यक्ष श्री बी. रामलिंगा राजू के बेटे हैं। उनकी प्रतियां अनुलग्नक डी-26 और डी-27 में रखी गई हैं। श्रीमती. बी. झांसी रानी ने अपने दिनांकित 25.03.2009 (अनुलग्नक ई-39.1) के बयान में कहा कि वह अपने शेयरों की बिक्री के कारणों को नहीं जान रही थीं। उनके नाम पर आयोजित एससीएसएल, उनके पति, श्री बी. सूर्यनारायण राजू, उनके निवेश के बारे में निर्णय लेते हैं। श्री बी. सूर्यनारायण

राजू ने अपने दिनांकित 04.04.2009 के बयान में (अनुलग्नक डी-38.2) उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने [2018] 5 एस. सी. आर. में रखे गए एस. सी. एस. एल. के शेयरों की बिक्री में भी मदद की।

मेसर्स मायटास इन्फ्रा लिमिटेड 4.7.43 . श्री बी. रामलिंगा राजू और श्री बी. राम राजू के बयानों से, श्रीमती. नंदिनी राजू, श्रीमती. राधा राजू और परिवार के अन्य सदस्यों, यह स्पष्ट है कि श्री बी. सूर्यनारायण राजू, थे

एस. सी. एस. एल. के शेयरों की बिक्री में सहायता, प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करना

प्रवर्तकों और अन्य लोगों के लिए और उनकी ओर से मूल्य में हेरफेर किया और इस प्रकार बाजार से धन जुटाने में सक्रिय रूप से मिलीभगत की। उन्होंने एससीएसएल की निधि आवश्यकताओं के उद्देश्य से दस्तावेजों को निष्पादित करके एससीएसएल के शेयरों को गिरवी रखने और बेचने के लिए श्री बी. रामलिंगा राजू के निर्देशों का पालन किया और अपराधी के पक्ष में थे।

के आधार पर हेरफेर उच्च मूल्य पर शेयर बेचकर संदेहहीन निवेशकों को धोखा देने का अवैध कार्य करने की साजिश

एस. सी. एस. एल. का गलत वित्तीय विवरण।

XXX XXX XXX

4.7.47 . श्री सूर्यनारायण राजू एक पावर ऑफ अटॉर्नी थे

मूल प्रवर्तकों का हेरफेर मूल्यों पर अपने शेयरों की बिक्री/गिरवी रखने के लिए। यहाँ किसी भी कानूनी कार्य को करने के लिए समझौता में था मुख्य प्रवर्तकों द्वारा प्रवर्तित कंपनी एस. आर. एस. आर. एच. पी. एल. में शेयरों से निपटने के लिए उन्हें सभी शक्तियां प्रदान करते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी का रूप। शेयरों की बिक्री और उसके परिणामस्वरूप गिरवी रखने को सुविधाजनक बनाने का कार्य एक अवैध कार्य था जिसे भ्रामक उद्देश्य के साथ किया गया था।

बेईमानी के आधार पर संदेहहीन निवेशकों को धोखा देना

तथ्यों को छिपाना। इस बेईमान और जानबूझकर

गलत निरूपण के कारण निवेशकों को अत्यधिक हेरफेर मूल्यों पर एस. सी. एस. एल. के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। धोखे के इस कृत्य से श्री बी. सूर्यनारायण राजू ने लोगों को नुकसान पहुँचाया।

सार्वजनिक रूप से निवेश करना और इसलिए आई. पी. सी., 1860 की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 417,420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध करना और उपरोक्त प्रावधानों के तहत खुद को अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाना।

भारतीय दंड संहिता, 1860 "।

39. इसके अलावा, हैदराबाद की विशेष अदालत का फैसला, जो केवल 9.4.2015 पर आया था, यानी कारण बताए जाने के नोटिस के लंबे समय बाद, इस प्रकार है:

हिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 1784. तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि आरोपी ए 6 मेसर्स के निदेशक के रूप में है। एम/एस। एस. आर. एस. आर. एडवाइजरी लिमिटेड ने 37 कंपनियों से मेसर्स में Rs.1425 करोड़ के हस्तांतरण की अनुमति दी। एस. सी. एस. एल. बिना किसी समझौते के, बोर्ड के किसी भी प्रस्ताव के बिना एस. एस. सी. एस. एल. या उक्त कंपनियाँ और कंपनियों के बीच किसी भी समझौते के बिना और किसी भी कॉर्पोरेट मानदंडों का पालन किए बिना और

इससे पता चलता है कि उसे मेसर्स में हो रही धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। एस. सी. एस. एल. और उस जानकारी के साथ उन्होंने मेसर्स में गैर-मौजूद नकदी और बैंक शेष को छिपाने के लिए धन के प्रवाह के लिए आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी ए 1 और ए 2 की सहायता की। एस. सी. एस. एल. और जिस तरह से अभियुक्त ए. 6 द्वारा मेसर्स के माध्यम से प्रबंधित 15 कंपनियों द्वारा Rs.195 करोड़ वापस लिए गए थे। एस. आर. एस. आर. एडवाइजरी लिमिटेड बिना किसी बोर्ड के प्रस्ताव के साजिश में उनकी संलिप्तता की पुष्टि करता है।

अभियुक्त ए 6 द्वारा नियंत्रित सीमित और 07-01-2009 पर अभियुक्त ए 1 के बयान के तुरंत बाद, अभियुक्त ए 6 ने राशि को डिमांड ड्राफ्ट में परिवर्तित करके लगभग 15 करोड़ रुपये एकत्र किए और 37 कंपनियों द्वारा प्रदर्शनी पी2964 के तहत नोटिस जारी किए जिन्हें प्रदर्शनी पी2688 द्वारा कवर किए गए 07-01-2009 पर अभियुक्त ए 1 के बयान में संदर्भित किया गया था और ये सभी परिस्थितियों ने साबित कर दिया कि आरोपी ए 6 ने मेसर्स की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। एससीएसएल, इसके शेयरधारक और निवेशक।

भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 42 में कहा गया है:

" 42. निर्णयों, आदेशों या फरमानों की प्रासंगिकता और प्रभाव,

धारा 41 में उल्लिखित लोगों के अलावा।

धारा 41 में उल्लिखित आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य आदेश या फरमान प्रासंगिक हैं यदि वे जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं; लेकिन ऐसे निर्णय, आदेश या फरमान उस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं जो वे कहते हैं।

के. जी. प्रेमशंकर बनाम में यह न्यायालय। पुलिस निरीक्षक, (2002)

8 94 पर एस. सी. सी. 87 ने कहा:

" 22. वर्तमान मामले के तथ्यों में, धारा 42 का कुछ प्रभाव होगा और दीवानी अदालत में पारित निर्णय और डिक्री प्रासंगिक होगी यदि यह जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामले से संबंधित है, लेकिन ऐसा निर्णय और डिक्री एक निर्णायक प्रमाण नहीं है जो वह बताती है।

यद्यपि यह सत्य है कि न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ और आपराधिक कार्यवाहियाँ अलग-अलग कार्यवाहियाँ हैं, विशेष की प्रासंगिकता

न्यायालय का निर्णय केवल यह दिखाने के उद्देश्य से है कि "अंदरूनी" की परिभाषा का दूसरा भाग अपीलार्थी के मामले में बनाया गया है, क्योंकि, यदि

अपीलार्थी, अपने भाइयों के साथ, जनता पर की गई धोखाधड़ी में पक्षकार था, यह स्पष्ट है कि उससे एससीएसएल की प्रतिभूतियों के संबंध में यूपीएसआई तक पहुंच की उचित रूप से अपेक्षा की गई थी। इसलिए, इस अपीलार्थी का मामला बी के परिवार के अन्य सदस्यों से अलग है।

रामलिंगा राजू ने कहा कि एस. एफ. आई. ओ. की रिपोर्ट के साथ-साथ उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से 2001 के बाद से की गई धोखाधड़ी में परिवार के अन्य सदस्यों के विपरीत उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करता है। यह मामला होने के कारण, हालांकि विभिन्न कारणों से, हम अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत के फैसले को बरकरार रखते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन